उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पवनेन्द्र कुमार कुशवाहा पुत्र श्री महेश प्रसाद
ग्राम व पोस्ट–बादशाहनगर तहसील–सदर थाना–सोहरामऊ दक्षिणी
जनपद–शाहजहॉपुर–242001
अनुक्रमांक– 417011266

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **शाहजहॉपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मुहम्मद तारीक पुत्र श्री मुहम्म कुर्वान
मकान नं0 55 निकट नाले वाली मस्जिद तारीन बहादुरगंज थाना–सदर
बाजार जनपद–शाहजहॉपुर 242001
अनुक्रमांक– 417011269

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **शाहजहॉपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप कुमार पुत्र श्री **देवेन्द्र पाल सिंह**

ग्राम. विन्दावन म0 बथुआ तहसील.एटा थाना. अवागढ़ जनपद. एटा

पिन. 207001

अनुक्रमांक– 440010254

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **एटा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

योगेश कुमार पुत्र श्री **सुरेश चन्द्र**

ग्राम.नगला.पोकर पोस्ट.पिपहरा थाना.निधौली कलां

जनपद.एटा. 207001

अनुक्रमांक– 440010274

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **एटा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सत्यवीर सिंह पुत्र श्री **राम रतन सिंह**

ग्राम/पोस्ट.बढावली थाना.जलेसर जनपद.एटा.207302

अनुक्रमांक– 440010435

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **एटा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुधीर कुमार पुत्र श्री **सुबेदार**
ग्राम. मोहनपुरए पोस्ट.बैदा तहसील.मोहम्मदी थाना.मोहम्मदी
जनपद.लखीमपुर खीरी.262804
अनुक्रमांक– 449040017

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **खीरी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशीष कुमार वर्मा पुत्र श्री **जगदेश्वर प्रसाद**

ग्राम.उधन्नापुर पोस्ट.शाहपुर जाँगीर थाना.पसगवाँ

जनपद.लखीमपुर खीरी.262701

अनुक्रमांक– 449020139

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **खीरी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रमोद कुमार पुत्र श्री **कनौजी लाल**
ग्राम.अशोगापुर पोस्ट.सुन्दरवल थाना.फूलबेहड़
जनपद.लखीमपुर खीरी.262701
अनुक्रमांक– 417010134

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **खीरी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री **महेन्द्र सिंह**

ग्राम/पोस्ट.धमनाखुर्द थाना.बरुआसागर जनपद.झाँसी.284121

अनुक्रमांक– 418040104

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **झाँसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिलीप कुमार पुत्र श्री कामता प्रसाद
म0नं0 855, नरायन बाग रोड, पूनम मैरिज हॉल के पास, डडियापुरा,
शिवाजीनग्रर थाना नवाबाद, जनपद झॉसी–284001
अनुक्रमांक– 418020077

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **झॉसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विश्वनाथ कोरी पुत्र श्री प्रकाश चन्द
ग्राम–लूहरगॉव, पोस्ट–रानीपुर, थाना–मऊरानीपुर
जनपद– झॉसी 284205
अनुक्रमांक– 418020320

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **झॉसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बलवीर सिंह दांगी पुत्र श्री **अयोध्याप्रसाद दांगी**

नि0 पहलापुरा चिरगाँव थाना.चिरगाँव जनपद. झाँसी 284301

अनुक्रमांक– 418040345

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **झाँसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संतोष कुमार पुत्र श्री मान सिंह
ग्राम नगला बॅधा, पोस्ट ऊसराहार, इटावा
अनुक्रमांक– 472030387

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इटावा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

स्वाती शुक्ला पुत्र श्री नरेन्द्र शुक्ला
ग्राम व पो0–महेवा, थाना–बकेवर जनपद इटावा
अनुक्रमांक– 472040319

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इटावा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशुतोष त्रिपाठी पुत्र श्री राम आसरे त्रिपाठी

ग्राम. टिकरा पोस्ट. लालगोपलगंज थाना. नवाबगंज

जनपद. इलाहाबाद पिन 229413

अनुक्रमांक– 480030026

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश कुमार सिंह पुत्र श्री **रामदेव सिंह**
मकान नं0 .2 फतेहपुर बिछुआ टैगोर टाउन थाना. जार्ज टाउन
जनपद. इलाहाबाद पिन. 211002
अनुक्रमांक– 429080365

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोनी निषाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निषाद

मकान नं0 .1108ध757 दारागंज थाना. दारागंज जनपद. इलाहाबाद. 211006

अनुक्रमांक– 429040487

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक तिवारी पुत्र श्री संतोष कुमार तिवारी

ग्राम. खानपुर पोस्ट.मेजारोड थाना.मेजा जनपद. इलाहाबाद . 212303

अनुक्रमांक– 429050347

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवम् पाण्डेय पुत्र श्री **राम मणि पाण्डेय**

नि0. 167 गंगोत्री हवेलिया झूँसी थाना.झूँसी जनपद.इलाहाबाद.211019

अनुक्रमांक– 429100683

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण प्रकाश पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह

ग्राम.महँगूपुर पोस्ट.जगतपुर थाना.उतराँव जनपद.इलाहाबाद .221505

अनुक्रमांक– 429090235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण देव त्रिपाठी पुत्र श्री लवकुश त्रिपाठी

ग्राम/पोस्ट.जुगराजपुर थाना.सरांय अकिल जनपद. कौशाम्बी .212216

अनुक्रमांक– 429090473

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

तुषार श्रीवास्तव पुत्र श्री **विनोद कुमार श्रीवास्तव**

नि0. चकश्याम किराँव मऊआइमा थाना.मऊआइमा

जनपद. इलाहाबाद. 212501

अनुक्रमांक– 480030361

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सूरज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री **विजय प्रकाश पाण्डेय**

नि0. गोइरी लाक्षागृह थाना.हण्डिया

जनपद.इलाहाबाद.221503

अनुक्रमांक— 480040082

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद कुमार शुक्ला पुत्र श्री **शेषमणि शुक्ला**

ग्राम.सिरोखरए पोस्ट.पसना तहसील.मेजा थाना.कोराँव

जनपद.इलाहाबाद.212302

अनुक्रमांक– 429100189

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अखिलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री **विजय पाल सिंह**

ग्राम.कसेरुआ खुर्द पोस्ट.सहसों जनपद.झूँसी जनपद.इलाहाबाद.221507

अनुक्रमांक– 429030047

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनुराग पाण्डेय पुत्र श्री अशोक कुमार पाण्डेय
ग्राम वीरपुर पोस्ट दुमदुमा विकास खण्ड सैदाबाद हण्डिया इलाहाबाद
उ0प्र0–221508
अनुक्रमांक– 429060035

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मयंक चन्देल पुत्र श्री जय सिंह चन्देल
एम0आई0जी0 146 गोविन्दपुर कालोनी तेलियरगंज शिवकुटी इलाहाबाद
उ0प्र0–211004
अनुक्रमांक– 480040278

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दारा सिंह पुत्र श्री सम्पत सरोज
ग्राम–गॉधीपुर सघनगंज, पोस्ट–करौदी, थाना–सोराव,
जनपद–इलाहाबाद–212502
अनुक्रमांक– 429030516

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुजीत कुमार पुत्र श्री संत राम
ग्राम, पोस्ट व थाना–थरवई, तहसील सोराव,
जनपद–इलाहाबाद–211013
अनुक्रमांक– 429010339

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती–2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण मुरारी सिंह पुत्र श्री हिन्द लाल सिंह
ग्राम–भौरहा, पोस्ट–कोसफरा, थाना–कोराव,
जनपद–इलाहाबाद–212306
अनुक्रमांक– 429030424

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुभाष चन्द्र पुत्र श्री अशोक कुमार
ग्राम व पोस्ट–कनेहरी, तहसील–फूलपुर,थाना–बहरियॉ,
जनपद–इलाहाबाद–212402
अनुक्रमांक– 429030378

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव कुमार गौतम पुत्र श्री दरोगा प्रसाद
ग्राम व पोस्ट–नीबी थाना–घूरपुर जनपद–इलाहाबाद–211008
अनुक्रमांक– 429010533

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री उमेश चन्द्र
पता–19/2 देवधाट धुस्सा आर्यनगर पोस्ट–पीपलगॉव थाना–धूमनगंज
जनपद–इलाहाबाद–211012
अनुक्रमांक– 429010714

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुजीत कुमार जायसवाल पुत्र श्री राम चन्द्र जायसवाल
मण्डी टाउन एरिया हडिया थाना–हडिया जनपद–इलाहाबाद–221503
अनुक्रमांक– 429050122

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनुग्रह नरायन पुत्र श्री ललित मोहन
ग्राम–गढचम्पा पोस्ट व थाना–मऊ जनपद–इलाहाबाद 212501
अनुक्रमांक– 480010272

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आनन्द कुमार साहू पुत्र श्री लाल जी साहू
ग्राम व पोस्ट सोनाई, करछना, इलाहाबाद।
अनुक्रमांक– 429080220

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जय चन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल सिंह
ग्राम जमुँआ, पो0 देवघाट, कोरॉव, इलाहाबाद।
अनुक्रमांक– 429060220

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री नंद लाल यादव

नि0.61डी/6डी/3 ओम गायत्री नगर तेलियरगंज थाना.शिवकुटी

जनपद.इलाहाबाद.211004

अनुक्रमांक– 429090685

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश कुमार सिंह पुत्र श्री **उदय पाल सिंह**

ग्राम.रतनसेनपुर पोस्ट .हरीसेनगंज थाना. मऊआइमा

जनपद.इलाहाबाद .212501

अनुक्रमांक– 429080206

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजेश कुमार मौर्य पुत्र श्री **रामचन्द्र मौर्य**

ग्राम.कतवारुपुर पोस्ट.हनुमानगंज थाना.सरायइनायत

जनपद.इलाहाबाद.221505

अनुक्रमांक– 429060242

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविकान्त मिश्रा पुत्र श्री **श्रीकृष्ण मिश्रा**

ग्राम. सर्फुद्दीनपुर पोस्ट. खोरीपाकड़ थाना. फेफना

जनपद.बलिया पिन. 277001

अनुक्रमांक– 47150253

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री **रमाशंकर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.सुखपुराए थाना.सुखपुरा जनपद.बलिया. 277304

अनुक्रमांक– 47140530

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अविनाश त्रिपाठी पुत्र श्री **रामनिवास तिवारी**

ग्राम.इच्छी पोस्ट.दौलतपुर थाना.नरही

जनपद.बलिया.277001

अनुक्रमांक– 47150653

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार राय पुत्र श्री **श्याम किशोर राय**

ग्राम.गोपालपुर;सहोदरा पोस्ट.बलिया थाना.बलिया जनपद.

बलिया. 277001

अनुक्रमांक— 47150484

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री **भगवान सिंह**

ग्राम.परसिया पोस्ट.सीताकुण्ड थाना हल्दी

जनपद.बलिया.277001

अनुक्रमांक– 47130037

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजेश कुमार राय पुत्र श्री **राम स्वरुप राय**

ग्राम.भरौली पोस्ट.भरौली थाना.नरही

जनपद.बलिया.277501

अनुक्रमांक– 47150085

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक कुमार राय पुत्र श्री **विजय शंकर राय**

ग्राम.सेन्टुरियाँ पोस्ट.खुरहि थाना.नरही

जनपद.बलिया.277504

अनुक्रमांक– 47150280

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उमेश कुमार राय पुत्र श्री **मुनीन्द्र नाथ राय**

ग्रामध्पोस्ट.सोहाँव थाना.नरही जनपद.बलिया.277504

अनुक्रमांक– 47150272

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजकुमार पाण्डेय पुत्र श्री **ओमप्रकाश पाण्डेय**

ग्राम.नसीराबादए पोस्ट.सागरपाली थाना.फेफना

जनपद.बलिया.277506

अनुक्रमांक– 47150467

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री श्री राम मुनी
ग्राम–गौरा, पोस्ट–पतोई भीमपुरा जनपद बलिया–221716
अनुक्रमांक– 47110455

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अलगू यादव पुत्र श्री सुदर्शन यादव
ग्राम–आदर पोस्ट–विद्या भवन नरायनपुर बॉसडीह, जनपद
बलिया–277213
अनुक्रमांक– 47150182

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुशील कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद
ग्राम–जलालपुर, पोस्ट–खोड़ीपाकड़ जलालपुर शिव मन्दिर के पास,
थाना कोतवाली जनपद बलिया–270001
अनुक्रमांक– 47150405

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नबाब सिंह पुत्र श्री उधल सिंह
ग्राम–शेखूपुर जखौली पोस्ट–चॉदनपुर थाना–एकदिल
जनपद–इटावा–206001
अनुक्रमांक– 47150732

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इटावा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दया शांकर चौहान पुत्र श्री शिव जोर राम
ग्राम व पोस्ट–नराव थाना–'गडवार जनपद–बलिया 221701
अनुक्रमांक– 47150578

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अविनाश प्रकाश राम पुत्र श्री नथुनी राय
ग्राम व पोस्ट–चेतन किशोर थाना–सिकन्दरपुर जनपद–बलिया 277303
अनुक्रमांक– 47140127

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरविन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री अजेय किशोर सिंह
ग्राम व पोस्ट–हल्दी(भदौरिया टोला) थाना–हल्दी
जनपद–बलिया 277402
अनुक्रमांक– 47120153

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चित्रा सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह
जे ब्लाक 3–4 डालीबाग आफिसर कालोनी हजरतगंज लखनऊ 226001
अनुक्रमांक– 47110437

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजेश कुमार पुत्र श्री रामदुलार
ग्राम सराय फत्ते पोस्ट अटरामपुर नवावगंज इलाहाबाद उ0प्र0 229412
अनुक्रमांक– 475010235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **इलाहाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजन मिश्र पुत्र श्री महराज नरायन मिश्र
84 रायपुर राजा निकट एसपी आवास कोतवाली देहात बहराइच उ0प्र0
271801
अनुक्रमांक– 475010154

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बहराइच** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अवधेश कुमार वर्मा पुत्र श्री गोबरे राम वर्मा
ग्राम व पोस्ट–रामपुर धोबियाहाट ब्लाक–शिवपुर तहसील–नानपारा
थाना–खैरीघाट जनपद–बहराईच 271830
अनुक्रमांक– 475020519

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बहराइच** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

निरंकार पुत्र श्री **लक्ष्मी नरायन**

ग्राम.पीताम्बरपुर पोस्ट.सेथलए तहसील.नवाबगंज थाना.

हाफिजगंज जनपद.बरेली.262407

अनुक्रमांक— 424080301

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बिमला त्रिलोक पुत्र श्री त्रिलोक सिंह
ए–3, 117–बी, सिविल लाइन्स, कैनाल कालोनी बरेली कोतवाली,
जनपद बरेली–243001
अनुक्रमांक– 424040368

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जगभान सिंह यादव पुत्र श्री **परशुराम सिंह यादव**

ग्राम/पोस्ट.मुरादाबाद थाना.देवां जनपद.बाराबंकी. 225001

अनुक्रमांक– 480050768

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बाराबंकी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुष्प लता पुत्र श्री नन्द लाल
मर्हिष नगर लखपेडा बाग निकट टासफामर जनपद–बाराबंकी 225001
अनुक्रमांक– 480050328

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बाराबंकी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री **नरेन्द्र सिंह**

मु0/पो0.नरैनी थाना. बरैनी जनपद.बाँदा.210129

अनुक्रमांक– 412010715

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बाँदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री बालकृष्ण सिंह
ग्रा0– बजहापुरवा मजरा मऊ पोस्ट– मऊ(ईंगूवॉ) मरका बादॉ उ0प्र0–
210125
अनुक्रमांक– 412011643

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बॉदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बलराम सिंह पुत्र श्री श्रवण कुमार
बलराम सिंह पुत्र श्रवण कुमार ग्राम व पोस्ट कैरी विसण्डा बॉदा उ0प्र0
210203
अनुक्रमांक– 412010580

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बॉदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार सिंह पुत्र श्री देव प्रसाद सिंह
ग्राम मूंगुस, पोस्ट मूंगुस, तिन्दवारी, जनपद बॉदा–210128
अनुक्रमांक– 412010969

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बॉदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गणेश दत्त पटेल पुत्र श्री शिवशरण
ग्राम–बरौली आजम पोस्ट–साया तहसील–बबेरू थाना–बिसडा
जनपद–बादा 210203
अनुक्रमांक– 412011039

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बॉदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री **बलराम सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.मूँगुस क्षेत्र .तिन्दवारी थाना.तिन्दवारी

जनपद.बाँदा.210128

अनुक्रमांक– 412010496

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बाँदा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरुण कुमार पुत्र श्री **राकेश कुमार**

ग्राम. आदलाबाद पोस्ट. कौताना तहसील थाना. बड़ौत

जनपद. बागपत पिन.250611

अनुक्रमांक– 477160120

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीत कुमार पुत्र श्री **राज कुमार**

म0नं0. 10ध1043 नवयुग कालोनी ;दिल्ली सहारनपुर रोडद्ध

बड़ौत थाना.बड़ौत जनपद.बागपत. 250611

अनुक्रमांक– 477090122

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बीना चौधरी पुत्र श्री **सत्यवीर सिंह**

ग्राम.खिंदौड़ा पोस्ट.अमीनगर सराय थाना.सिंघावली;अहीर

थाना.बागपत.250606

अनुक्रमांक– 477110397

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अल्बीना खान पुत्र श्री **मुरशद अली खान**

नि0. तिलपनी अमीनगर सराय;बागपतद्ध थाना.सिंघावली

अहीर जनपद.बागपत.250606

अनुक्रमांक– 477100427

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उदयवीर यादव पुत्र श्री **महावीर यादव**

ग्रामध्पोस्ट. डौलचा थाना.बालैनी जनपद.बागपत.250626

अनुक्रमांक– 477120306

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल तोमर पुत्र श्री **कृष्णपाल सिंह**

नि0 गुराना रोड गली नं0.6ए शान्तिनगर म0नं0 11ध469

बड़ौत थाना.बड़ौत जनपद.बागपत.250611

अनुक्रमांक– 477080166

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल शर्मा पुत्र श्री **शौराज सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.कुर्डी तहसील बड़ौत थाना.छपरौली जनपद.

बागपत.250617

अनुक्रमांक– 477160105

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकास चन्द शर्मा पुत्र श्री **मदनपाल शर्मा**

ग्रामध्पोस्ट.सिनौली जनपद.छिपरौली जनपद.बागपत.250611

अनुक्रमांक– 477130837

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आबिद कुरैशी पुत्र श्री **बासिद कुरैशी**

नि0. पट्टी चौधराना मोहल्ला कुरेशियान 15ध्54 **बड़ौत थाना.**

बड़ौत जनपद.बागपत.250611

अनुक्रमांक– 477120313

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकल सिंह ढाका पुत्र श्री जयवीर सिंह
ग्राम व डा0 ढिकौली चॉदीनगर बागपत उ0प्र0 250615
अनुक्रमांक– 477110115

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनीत चौधरी पुत्र श्री जयप्रकाश सिंह
ग्रा–सुल्तानपुर हटाना, डाक–खेडा हटाना बडौत, जनपद बागपत–250619
अनुक्रमांक– 477090185

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल कुमार पुत्र श्री आत्मा राम
गांव व पो0–फखरपुर, खेकड़ा जनपद बागपत–250101
अनुक्रमांक– 477160305

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पारूल तोमर पुत्र श्री वेद प्रकाश तोमर
ग्राम व डाकखाना–बेगमाबाद गढी थाना–दोघट जनपद–बागपत
250622
अनुक्रमांक– 477020313

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुमारी रितू पुत्र श्री वेद पाल सिंह राठी
कस्बा टिकरी पट्टी छिजाना थाना–दोघट जनपद–बागपत 250625
अनुक्रमांक– 477140062

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीत सिंह तोमर पुत्र श्री ओमवीर सिह तोमर
ग्राम व पोस्ट–गुराना तहसील व थाना–बडौत जनपद–बागपत 250611
अनुक्रमांक– 477130649

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अर्जुन सिंह पुत्र श्री **इन्द्रपाल सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.बामनौली;तरला हेरद्ध थाना.दोघट जनपद.

बागपत.250620

अनुक्रमांक– 477140320

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अवधेश पुत्र श्री

नि0. 68ध्8 मौहल्ला माता वालाए अमी नगर सराय थाना.

सिंघावली अहीर जनपद.बागपत.250606

अनुक्रमांक– 477160022

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बागपत** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गुलाब चन्द चौधरी पुत्र श्री **राम करन चौधरी**

ग्राम.नकधरी पोस्ट.मल्हवार थाना.रुधौली जनपद.बस्ती.

272151

अनुक्रमांक– 475070411

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सूधीर कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री **रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव**
डा0 कल्पना नर्सिंगहोम के पीछे अमरुदबाग रौतापार
पोस्ट.गांधीनगर थाना.कोतवाली जनपद.बस्ती.272001

अनुक्रमांक– 475080289

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूप सिंह पुत्र श्री **जयन्ती सिंह**

1205ध्5 पिकौरा बक्श निकट काँटा बाबा की कुटी गाँधीनगर

थाना.कोतवाली बस्ती जनपद.बस्ती.272001

अनुक्रमांक— 475080235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रत्नेश कुमार पुत्र श्री **राजदेव शुक्ला**

ग्राम.जगदीशपुर पोस्ट.वाल्टरगंज थाना.वाल्टरगंज जनपद.

बस्ती.272182

अनुक्रमांक– 475080104

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संदीप कुमार चौधरी पुत्र श्री लालमनी चौधरी
ग्राम दुदराक्ष, बरगदहिया पोस्ट छपिया शिववरन दुधारा बस्ती
उ0प्र0–272002
अनुक्रमांक– 475050320

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

देवप्रभाकर पुत्र श्री राम शंकर
ग्राम व पोस्ट शंकरपुर छावनी बस्ती उ0प्र0 272129
अनुक्रमांक– 475060427

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार पुत्र श्री अमरेश कुमार
ग्राम बड़ेरिया कुंवर, पो0 थान्हा खास, हरैया, पैकोलिया, जनपद बस्ती–272155
अनुक्रमांक– 475050388

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओंकार
ग्राम –मेहनौना पोस्ट–शिलो थाना–लालगंज जनपद–बस्ती 272124
अनुक्रमांक– 475050312

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनीषा सिंह पुत्र श्री सूर्य नारायण सिंह
ग्राम व पोस्ट–शंकर पुर वाया बयारा थाना–'सोनहा जनपद–बस्ती
272105
अनुक्रमांक– 475110041

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम शंकर चौधरी पुत्र श्री **राम टिकोर चौधरी**

ग्राम.गूमानारी पोस्ट.कुरियार थाना.मण्डेरवा जनपद.बस्ती.

272178

अनुक्रमांक– 465010008

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हेमन्त कुमार चौधरी पुत्र श्री श्रीराम सेवक
ग्राम व पोस्ट–दिवाकरपुर, थाना–पैकोलिया, जनपद–बस्ती–272181
अनुक्रमांक– 475090109

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जगजीत सिंह पुत्र श्री **धनवीर सिंह**

ग्राम. धरमपुर पोस्ट.सरैरा तहसील.बिल्सी थाना.उधैती

जनपद.बदाँयू.202524

अनुक्रमांक– 423010007

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बदायूँ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिलेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री **विनोद कुमार शर्मा**

ग्रामध्पो0. चाँदौक थाना.जहाँगीराबाद जनपद.बुलन्दशहर

पिन.202394

अनुक्रमांक— 439220133

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भुपेन्द्र सिंह सिरोही पुत्र श्री **सत्यवीर सिंह**

ग्रमध्पोस्ट. निसुर्खा थाना.बीबीनगर जनपद. बुलन्दशहर

पिन.245411

अनुक्रमांक— 439200381

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कपिल कुमार पुत्र श्री **ऋतुपाल सिंह**

ग्राम.धनियावली पोस्ट. बुगरासी थाना.स्याना जनपद.

बुलन्दशहर. 245403

अनुक्रमांक— 439180153

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिंकेश शर्मा पुत्र श्री **उमेश चन्द्र शर्मा**

ग्राम.अमरपुर थानाध्पोस्ट.डिबाई जनपद.बुलन्दशहर. 202393

अनुक्रमांक– 439210256

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री **सत्येन्द्र कुमार त्यागी**

नि0. मकान नं0.368 आवास विकास कालोनी प्रथम डी0एम0

रोड थाना.कोतवाली बुलन्दशहर जनपद.बुलन्दशहर.203001

अनुक्रमांक– 439210137

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गौरव भारद्वाज पुत्र श्री **रामदत्त शर्मा**

नि0 राम विहारए **शास्त्री नगर**ए **बाईपास राड थाना.नगर**

कोतवाली जनपद.बुलन्दशहर.203001

अनुक्रमांक— 439210309

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

करनवीर सिंह पुत्र श्री **बिजेन्द्रपाल सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.छपरावत थाना.गुलावठी जनपद.बुलन्दशहर.

245408

अनुक्रमांक– 439220253

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रोबिन कुमार पुत्र श्री **रनवीर सिंह**

ग्राम.खरकाली पोस्ट.बी0बी0 नगर थाना.बी0बी0 नगर

जनपद.बुलन्दशहर.245402

अनुक्रमांक– 439150478

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ललित कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह
ग्राम खरकाली पोस्ट बीबीनगर बीबीनगर बुलन्दशहर उ0प्र0–245402
अनुक्रमांक– 439110465

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दर्शन सिंह पुत्र श्री बृगभान सिंह
गॉव दाउदपुर पोस्ट खबरा तह0 सिकन्दराबाद चॉदपुर देहात बुलन्दशहर
उ0प्र0 203203
अनुक्रमांक– 439210162

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुलदीप शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा
ग्राम शहवाजपुर दौलत पोस्ट शहवाजपुर दौलत खुर्जा देहात बुलन्दशहर
उ0प्र0 203131
अनुक्रमांक– 439160496

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार पुत्र श्री होरी लाल सिंह
ग्राम व पोस्ट दानगढ डिबाई बुलन्दशहर उ0प्र0 202392
अनुक्रमांक– 439170082

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चिन्तन कौशिक पुत्र श्री देव शंकर शर्मा
219–12 चन्द्र कुटिर होटल राज दरबार के पीछे डी0एम0 कालोनी रोड
बुलन्दशहर, बुलन्दशहर उ0प्र0 203001
अनुक्रमांक– 439200324

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह
गांव–पसौली, डाक–लखावटी, औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर–245407
अनुक्रमांक– 439170321

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौरभ कुमार राणा पुत्र श्री गजवीर सिंह
ग्राम–अकबरपुर रैना डा0– अगौता जनपद बुलन्दशहर–245408
अनुक्रमांक– 439120394

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ज्ञानचन्द सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी
नगर पलिका के पास, मौ0 छासियावाडा सिकन्दराबाद, जनपद
बुलन्दशहर–203205
अनुक्रमांक– 439120007

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकास सिंघल पुत्र श्री आर0 पी0 सिंघल
मा0नं0–181–7, सूर्यनगर, चॉदपुर रोड, कोतवाली नगर,
जनपद–बुलन्दशहर–203001
अनुक्रमांक– 439190465

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राज कुमार पुत्र श्री भीम सेन
ग्राम–लच्छमपुर पोस्ट–अनूपशहर थाना–अनूपशहर
जनपद–बुलन्दशहर–202390
अनुक्रमांक– 439120129

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरविन्द यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव
ग्राम–टुण्डाखेडा पोस्ट व थाना–छतारी जनपद–बुलन्दशहर–202397
अनुक्रमांक– 439170110

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरुण कुमार पुत्र श्री **अनिल कुमार**

ग्रामध्पोस्ट.सारंगपुर थाना.खुर्जा;नगरद्ध जनपद.बुलन्दशहर.

203132

अनुक्रमांक– 439170209

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गौरव कुमार पुत्र श्री **राजकरन**

ग्रामध्पोस्ट.सारंगपुर थाना.खुर्जा;नगरद्ध जनपद.बुलन्दशहर.

203132

अनुक्रमांक– 439160335

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहनवीर पुत्र श्री **ऐसवीर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट. भैंसापुर थाना.बी0बी0नगर जनपद.बुलन्दशहर.

245411

अनुक्रमांक– 439170162

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बुलन्दशहर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजीव कुमार पुत्र श्री स्यौराज सिंह
ग्राम व पोस्ट–ताजपुर बाया सैदपुर ब्लाक बीबीनगर थाना–बीबीनगर
जनपद–बुलन्दशहर–245411
अनुक्रमांक– 475040061

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बलरामपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय कुमार पुत्र श्री अनकपाल सिंह
ग्राम नगला डालू पोस्ट नरथर तह0 पटीयाली कांशीरामनगर उ0प्र0
207243
अनुक्रमांक– 473100372

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कांशीरामनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रहलाद सिंह पुत्र श्री **मान सिंह**

ग्राम. मिर्जापुर जवई पोस्ट.उदहिन बुजुर्ग थाना.

मोहम्मदपुर पईंसा जनपद. कौशाम्बी पिन. 212217

अनुक्रमांक– 429120473

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वेद प्रकाश पुत्र श्री **अश्विनी कुमार**

ग्रामध्पोस्ट.दादानगर थाना.सैनी जनपद.कौशाम्बी. 212204

अनुक्रमांक– 429130175

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

यज्ञनारायण भार्गव पुत्र श्री **गोरखनाथ भार्गव**

ग्राम.लोहकट पोस्ट.महिला थाना.कौशाम्बी जनपद.कौशाम्बी.212216

अनुक्रमांक– 429130397

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री **सूर्य प्रकाश त्रिपाठी**

ग्राम.महेशपुर पोस्ट.कोखराज थाना.कोखराज जनपद.

कौशाम्बी.212201

अनुक्रमांक— 429130235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल मिश्र पुत्र श्री कृष्णकुमार मिश्र
ग्राम बेलावॉ पोस्ट खरसेडवॉ धाता फतेहपुर उ0प्र0–212641
अनुक्रमांक– 429130282

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कौशाम्बी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवजीत सिंह पुत्र श्री **शिवपाल सिंह**

ग्राम.चिरानाए पोस्ट.विसायकपुर थाना.अकबरपुर जनपद.

कानपुर देहात.209304

अनुक्रमांक– 412080338

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशा देवी पुत्र श्री **सत्य प्रकाश सचान**

ग्रामध्पोस्ट.कैलई थाना.बरौर जनपद.कानपुर देहात

अनुक्रमांक– 462420237

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विपिन कुमार पुत्र श्री **अनिल कुमार**

नि0. पानी की टंकी के पासए **मुहम्मद नगर सिकन्दरा**

थाना.सिकन्दरा जनपद.रमाबाई नगर ;कानपुर देहातद्ध.

209125

अनुक्रमांक– 412080030

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिशिर गुप्ता पुत्र श्री **जय प्रकाश गुप्ता**

नि0. 10ध्1 गणेश गंज टाउन एरिया आफिस के पासएथाना.

रुरा जनपद.कानपुर देहात;रमाबाई नगरद्ध.209303

अनुक्रमांक– 412070530

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार पुत्र श्री बुद्व सिंह
ग्राम–प्रेमपुर, पोस्ट–गौर, देवराहट, जनपद–रमाबाईनगर–209112
अनुक्रमांक– 462400338

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ओमकार पुत्र श्री मुन्नी लाल
ग्राम–गुलजारीपुरवा, पोस्ट–कोढ़वा, थाना–शिवली
जनपद–रमाबाईनगर–203001
अनुक्रमांक– 462410007

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रीती देबी पुत्र श्री कृपा शंकर
ग्राम व पोस्ट–खोजोफूल थाना–सिकन्दरा जनपद–रमाबाईनगर 209125
अनुक्रमांक– 412080229

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल
ग्राम मदनपुर, पोस्ट सेल्हूपुर, थाना देवरहट, जिला रमाबाई नगर, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 462400079

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भगत सिंह पुत्र श्री अच्छे लाल
ग्राम–कचनार की मडैवा, पोस्ट–मानपुर थाना–सिकन्दरा जनपद कानपुर
देहात–209125
अनुक्रमांक– 462420022

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुर देहात** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश कुमार साहु पुत्र श्री **गौरी शंकर साहु**

नि0.88 रुमा कानपुर नगर थाना.महराजपुर जनपद.कानपुर

नगर.208001

अनुक्रमांक– 462140301

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शशाँक बाजपेई पुत्र श्री **राजेन्द्र कुमार**

ग्रामध्पोस्ट.भदरस घाटमपुर थाना.घाटमपुर जनपद.कानपुर नगर.209206

अनुक्रमांक– 462140111

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सतीश कुमार कुशवाहा पुत्र श्री **जगजीवन लाल कुशवाहा**
नि0 म0नं0.13 छेदी सिंह का पुरवा बर्रा.2 कानपुर थाना. बर्रा
जनपद.कानपुर.208027
अनुक्रमांक– 462140241

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गौरव त्रिवेदी पुत्र श्री हौसला प्रसाद त्रिवेदी
133–782 एम ब्लाक किदवई नगर कानपुर किदवईनगर कानपुर उ0प्र0
208023
अनुक्रमांक– 462140020

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूज कुमार पुत्र श्री मेवालाल
ग्राम कोरधा पोस्ट बिरसिंहपुर तहसील धाटमपुर धाटमपुर कानपुर नगर
उ0प्र0 209209
अनुक्रमांक– 462140235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल कुमार यादव पुत्र श्री ब्रजमोहन यादव
ग्राम भवानीपुर पोस्ट मन्धना जिला कानपुरनगर चौबेपुर कानपुरनगर
उ0प्र0 209217
अनुक्रमांक– 462130154

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नारेन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद
वार्ड नं0–1 नगर पंचायत शिवराजपुर, थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुरनगर–209205
अनुक्रमांक– 462190159

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश कुमार पुत्र श्री महावीर यादव
ग्राम–प्रतापपुर पोस्ट व थाना–नरवल जनपद–कानपुर नगर 209401
अनुक्रमांक– 462150144

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रानी देबी पुत्र श्री शंकर लाल
म0नं0 238 ए 6 तालीबाडी नियर अविनाश विघा मन्दिर स्कूल लाल
बंगला हरिजेन्दर नगर थाना–न्यू चकेरी जनपद–कानपुर नगर 208007
अनुक्रमांक– 462230179

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीत शर्मा पुत्र श्री विमलेश कुमार शर्मा
सी–475 बर्रा–8 कानपुर नगर।
अनुक्रमांक– 462210007

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कानपुरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनीष कुमार मिश्र पुत्र श्री **सुरेश मिश्र**

ग्राम.अहिरौली बुजुर्ग पोस्टध्थाना. पड़रौना जनपद.

कुशीनगर. 274304

अनुक्रमांक– 465170288

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ओमशंकर गुप्ता पुत्र श्री **रामधारी गुप्ता**

ग्राम.हरपुरमाफी नविन नगर पोस्ट.हरपुरमाफी थाना.

रामकोला जनपद.कुशीनगर.274306

अनुक्रमांक– 476090285

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कमल शंकर चतुर्वेदी पुत्र श्री रवितेज प्रकाश चतुर्वेदी
ग्राम मधवापुर पोस्ट पिपराझाम तरकुलवॉ कुशीनगर उ0प्र0–274408
अनुक्रमांक– 476120211

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद
ग्राम व पोस्ट–रामपुर सोहरौवना थाना–हाटा जनपद कुशीनगर–274203
अनुक्रमांक– 476090027

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुमार मंगलम पुत्र श्री राम निवास
ग्राम–गौरा (पडरी) पोस्ट–बखरा तहसील हाटा थाना–गौरीबाजार
जनपद–कुशीनगर–274203
अनुक्रमांक– 476090231

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रूद्र प्रताप सिंह
ग्राम–बरसैना न0 2 पोस्ट–बरसैना थाना–अहिरौली बाजार
जनपद–कुशीनगर 274207
अनुक्रमांक– 476090175

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उपेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री मैंनेजर सिंह
ग्राम वढयाछापर, पोस्ट पडरी पिपर पाती, जटहा, कुशीनगर।
अनुक्रमांक– 476100094

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कुशीनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सचिन कुमार पुत्र श्री **सुरेश चन्द्र**

ग्राम. भजूरिया पटेल नगर तिराहा पोस्टध्याना . इन्दरगढ़

जनपद.कन्नौज . 209723

अनुक्रमांक– 440110399

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुलदीप कुमार यादव पुत्र श्री **रामचन्द्र**

मु0.ग्रेशीगंज गली नं0.2 पोस्ट.छिबरामऊ थाना.छिबरामऊ

जनपद.कन्नौज.209721

अनुक्रमांक– 440150126

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप कुमार वर्मा पुत्र श्री श्री अमर सिंह
ग्राम–उदैयापुर, पोस्ट–हसेरन, इन्दरगढ़, जनपद–कन्नौज–209728
अनुक्रमांक– 440120157

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल कुमार पुत्र श्री लक्ष्मन दास
मोहल्ला–अशोकनगर बरधाइया रोड, पोस्ट व थाना–तिर्वा,
जनपद–कन्नौज–209732
अनुक्रमांक– 440180061

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रजनीश कुमार पुत्र श्री राजेश सिंह
ग्राम–नदई पुरवा पोस्ट–हरेईपुर–खैर नगर थाना–ठठिया
जनपद–कन्नौज 209736
अनुक्रमांक– 440130198

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गोविन्द सक्सेना पुत्र श्री अशोक कुमार सक्सेना
मोहल्ला कटरा, पोस्ट छिबरामऊ, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज,
उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 440140589

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आलम शाह पुत्र श्री

ग्राम.बछर्जापुर पोस्ट.तिर्वा थाना.तिर्वा जनपद.कन्नौज.

209732

अनुक्रमांक– 440140251

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **कन्नौज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चन्दन कुमार राय पुत्र श्री **अनील कुमार राय**

मो0 अस्तुपुरा पोस्ट.मऊनाथ भंजन थाना.दक्षिण टोला

जनपद.मऊ 275101

अनुक्रमांक– 47190586

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशुतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम सूरत प्रसाद गुप्ता
सेलटैक्स गली नई बस्ती मदरसा के सामने वाली गली मुन्शीपुरा मऊ
कोतवाली मऊनाथभंजन मऊ उ0प्र0 275101
अनुक्रमांक– 47180530

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनजीत कुमार पुत्र श्री राम मंगल
मो0–हकीकतपुर पोस्ट–मऊ नाथ भंजन थाना–दक्षिण टोला
जनपद–मऊ–275101
अनुक्रमांक– 47170548

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद कुमार अनचल पुत्र श्री स्व0 लुटन प्रसाद
ग्राम–जमालपुर (बुलन्द) पोस्ट–पहसा थाना–हलधरपुर
जनपद–मऊ–221705
अनुक्रमांक– 47160051

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा
ग्राम–टिपकाबाद पोस्ट–सुरहुरपुर मुहम्मदाबाद गोहना जनपद–मऊ
276403
अनुक्रमांक– 47190176

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अखिलेश कुमार यादव पुत्र श्री हरिशंकर यादव
ग्राम–कासिमपुर पोस्ट–सिधा अहिलासपुर थाना–मधुबन जनपद–मऊ
221603
अनुक्रमांक– 47190683

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरविन्द कुमार यादव पुत्र श्री **रामजीत यादव**

ग्रामध्पोस्ट.कटिहारी बुजुर्गए थाना.घोसी जनपद.मऊ.275301

अनुक्रमांक– 47180187

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील यादव पुत्र श्री **नन्दलाल यादव**

ग्राम.खुर्दकरमी पोस्ट.करमी थाना.चिरैयाकोट.जनपद.मऊ.

276129

अनुक्रमांक– 47160595

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजीव मल्ल पुत्र श्री **देव नारायण मल्ल**

ग्राम.लखनौर;दक्षिणी तरफद्ध थाना.मधुबन जनपद.मऊ.

221602

अनुक्रमांक– 459140247

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम प्रताप सिंह पुत्र श्री **नबाब सिंह**

ग्रामध्पोस्ट . रायपुर तहसील.माट थाना. नौहझील जनपद.

मथुरा पिन.281203

अनुक्रमांक– 472250249

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

लोकेश कुमार गंधार पुत्र श्री **बृजेन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट. सिहोरा तहसील.महावन थाना.जमुनापार

जनपद.मथुरा 281305

अनुक्रमांक– 472240186

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कु0 पुजा सोलंकी पुत्र श्री **विजय कुमार सिंह**

ग्राम.कपूर;ढूकद्वए पोस्टध्याना.रायाए जिला.मथुरा.281204

अनुक्रमांक– 474090325

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्त कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह
एम0आई0जी0–442, राधिका विहार, सौंख रोड़, नरहोली,
जनपद–मथुरा–281004
अनुक्रमांक– 472260134

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मुकेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
ग्राम–मुखराई, पोस्ट–राधाकुण्ड, थाना–गोवर्धन, जनपद–मथुरा–281504
अनुक्रमांक– 472220299

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

यशोदा कुमारी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह
ग्राम–नगरिया पोस्ट–पैठा थाना–मगौरा जनपद–मथुरा 281502
अनुक्रमांक– 472230013

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हेमन्त कुमार सोंलकी पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह सोलांकी
ग्राम–बील अलिहाबाद पोस्ट–सोनाई थाना–राया जनपद–मथुरा 281206
अनुक्रमांक– 472260298

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मथुरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

देवब्रत शर्मा पुत्र श्री **बेचन प्रसाद शर्मा**

ग्रामध्पोस्ट. सेखुई बाजार निचलौला थाना.चौकबाजार

जनपद.महाराजगंज.273304

अनुक्रमांक— 476141170

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **महराजगंज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सर्वेश कुमार पुत्र श्री रमाशंकर
ग्राम–साधोचक, पोस्ट–कम्हरीया कला, थाना चौक बाजार जनपद
महराजगंज– 273303
अनुक्रमांक– 476141176

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **महराजगंज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जावेद खान पुत्र श्री जमालुद्दीन
ग्राम–ओडवलिया पास्ट–ओड.वलिया थाना निचलौल जनपद
महराजगंज–273304
अनुक्रमांक– 476150127

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **महराजगंज** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार गुप्ता पुत्र श्री **अशोक कुमार**

ग्रामध्पोस्ट.सिजहरी थाना.श्रीनगर जनपद.महोबा.210427

अनुक्रमांक– 412070406

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **महोबा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार मिश्रा पुत्र श्री **श्रीनिवास मिश्रा**

ग्राम.गहियाँ पोस्ट.कमासिन थाना.चिल्ह जनपद.मिर्जापुर.

पिन.231001

अनुक्रमांक– 455060553

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम कृष्ण सिंह पुत्र श्री **राजेन्द्र कुमार सिंह**

ग्राम.मल्लेपुर ;हरसिंहपुरद्ध पोस्ट.तिलही थाना.चील्ह

जनपद. मिर्जापुर 231001

अनुक्रमांक– 455060138

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अन्जू रानी पुत्र श्री **मथन सिंह**

ग्राम.अन्दावलीए **पोस्ट.लावड**ए **तहसील.सरधना थाना.**

इंचौली जनपद.मेरठ.250222

अनुक्रमांक– 455030538

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश कुमार यादव पुत्र श्री **लाल बहादुर यादव**

नि0. अमरावती चौराहाए घमहापुर थाना.विन्धयाचल

जनपद.मीरजापुर.231307

अनुक्रमांक– 455040857

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज कुमार कुशवाहा पुत्र श्री **रामदेव कुशवाहा**

नि0. मो0. लोहिया तालाबए पोस्ट.सदर थाना.कटरा

कोतवाली जनपद.मीरजापुर.231001

अनुक्रमांक– 455090469

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गिरीशधर दुबे पुत्र श्री रामगोपालधर दुबे
ग्राम दुबेपुर पोस्ट भरपुरा पडरी मिर्जापुर उ0प्र0–231001
अनुक्रमांक– 455080129

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेश कुमार सिंह पुत्र श्री अंशबहादुर सिंह
ग्राम नेगुरा बान सिंह पोस्ट जिगना, आर0एस0 जिगना मिर्जापुर उ0प्र0
231313
अनुक्रमांक– 455080269

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कबीर दास पुत्र श्री मेवालाल
ग्राम टौंगा पो0 पडरी, जनपद मिर्जापुर–231001
अनुक्रमांक– 455040169

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अश्विनी कुमार पटेल पुत्र श्री नेता लाल जी
ग्राम व पो0–लहौरा, चुनार, जनपद– मीरजापुर–231001
अनुक्रमांक– 455060244

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनुपम जयसवाल पुत्र श्री अवधेश कुमार जयसवाल
ग्राम–सिकन्दरपुर पोस्ट–जमालपुर थाना–जमालापुर जनपद–मिर्जापुर
231302
अनुक्रमांक– 455030371

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राकेश सिंह पुत्र श्री **बच्चन सिंह**

ग्राम.ओड़ी पोस्ट.जमालपुर थाना.जमालपुर जनपद.

मिर्जापुर.231302

अनुक्रमांक– 455060196

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

लक्ष्मी कान्त पुत्र श्री **रामखेलावन सिंह**

ग्राम.सिनहर कला पोस्ट.भटौली घाट थाना. कोतवाली

देहात जनपद.मीरजापुर.231001

अनुक्रमांक– 455040839

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मीरजापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरकिशोर मौर्य पुत्र श्री **नरोत्तम सिंह मौर्य**

नि0 29 श्यामनगरए निकट सिकरी गेट पुलिस चौकी थाना.

चन्दौसी जनपद. मुरादाबाद पिन. 202412

अनुक्रमांक– 424270701

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुधीर कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह
न्यू दुर्गा कालोनी मीरपुर रोड मझोली थाना–मझोला
जनपद–मुरादाबाद–244001
अनुक्रमांक– 424290204

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम सिंह
ग्राम व पोस्ट–अकबरपुर सिधौली थाना–छजलैर
जनपद–मुरादाबाद–244501
अनुक्रमांक– 424250280

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शेखर सैनी पुत्र श्री चरन सिंह सैनी
निकट न्यू एम के टेलर बगला गॉव मुरादाबाद थाना–नगफनी
जनपद–मुरादाबाद 244001
अनुक्रमांक– 424230175

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहित चौधरी पुत्र श्री याम सिंह
ग्राम–एचवाडा डिगर पोस्ट–रहपा थाना–असमोली जनपद–मुरादाबाद
244242
अनुक्रमांक– 424220271

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पारूल चौधरी पुत्र श्री श्री हरपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट–मौढा थाना–पाकवडा जनपद–मुरादाबाद 244502
अनुक्रमांक– 424240760

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पंकच कुमार यादव पुत्र श्री **ओम प्रकाश सिंह**

नि0 . महर्षि दयानन्द कालौनी निकट माता कात्यायिनी

देवी मन्दिर पीतल बस्तीए थाना.कटघर जनपद.मुरादाबाद.

244001

अनुक्रमांक– 424240345

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुरादाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय चौधरी पुत्र श्री **संजीव कुमार**

ग्रामध्पोस्ट. मालैण्डी तहसील. शामली थाना.गढी पुख्ता

जनपद.मुजफ्फरनगर. 247776

अनुक्रमांक– 474140291

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आर्यवीर पुत्र श्री **राजेन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.थोकरहेडीए मोहल्ला.बेहडा पट्टी ;आधागांवद्ध

थाना.थोपा जनपद.मुजफ्फरनगर 251316

अनुक्रमांक— 474130037

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मलूक सिंह पुत्र श्री **कुलदीप कुमार**

ग्राम.बाजिदपुर कवालीए पोस्ट.जानसठ थाना.जानसठ

जनपद.मुजफ्फरनगर 251314

अनुक्रमांक– 474140162

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रवीन कुमार पुत्र श्री **जयनारायण सिंह**

ग्रामध्पोस्ट. कुरावा थाना कुगाना जनपद. मुजफ्फरनगर.

251309

अनुक्रमांक– 474190553

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उमीद अली पुत्र श्री **सत्तार अली**

ग्रामध्पोस्ट. जौला ब्लाक.बुढ़ाना थाना बुढ़ाना जनपद.

मुजफ्फरनगर 251309

अनुक्रमांक– 477220018

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कु0 अलका पुत्र श्री **सतीश कुमार**

ग्राम.ताजपुर सिम्भालकाए **पोस्ट.शामली थाना.कोतवाली**

जनपद.मुजफ्फरनगर. 247776

अनुक्रमांक– 474170485

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अंकुश पुत्र श्री **विरेन्द्र सिंह**

ग्राम.मोघपुर पोस्ट.मन्सूरपुर थाना.सिखेड़ा जनपद.

मुजफ्फरनगर.251203

अनुक्रमांक– 474180068

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिखा त्यागी पुत्र श्री **रामकुमार त्यागी**

ग्राम.अम्बरपुर पोस्ट.चन्दसीना थाना.रतनपुरी जनपद.

मुजफ्फरनगर. 251201

अनुक्रमांक– 474180580

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कु0 प्रीती पुत्र श्री **वीरपाल सिंह**

के0आँफ श्री तेजपाल सिंह म0नं0. ए87ए लाल बागए गाँधी

कालोनी थाना.नई मण्डी जनपद.मुजफ्फरनगर. 251001

अनुक्रमांक– 474180502

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रजनी पुत्र श्री **रकम सिंह**

ग्राम.तुलसीपुर पोस्ट.जानसठ थाना.खतौली जनपद.

मुजफ्फरनगर.251314

अनुक्रमांक– 477220041

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

परवेज चौधरी पुत्र श्री **कय्यूम चौधरी**

नि0. म0नं0.183ए महमूदनगर बझेरी रोडए थाना.सिविल लाईन जनपद.मुजफ्फरनगर.251001

अनुक्रमांक– 474110386

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल कुमार पुत्र श्री **बीरसैन**

ग्राम.शेखुपूरा पोस्ट.कन्डेला थाना.आण्मण्शामली जनपद.

मुजफ्फरनगर.247774

अनुक्रमांक– 474160519

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री **तेजपाल सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.कुडाना तहसील.शामली थाना.आदर्श मण्डी

जनपद.मुजफ्फरनगर.247776

अनुक्रमांक– 474160583

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री **हरबीर सिंह**

ग्राम.लपराना पोस्टध्थाना.झिंझाना जनपद.मुजफ्फरनगर.

247773

अनुक्रमांक– 474160539

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजीव कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट रोनी हरजीपुर बाबरी मुजफ्फरनगर उ0प्र0–251301
अनुक्रमांक– 477220206

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीतू कुमार पुत्र श्री चरण सिंह
गॉव बहावडी डा0 बहावडी फुगाना मुजफ्फरगनर उ0प्र0 247776
अनुक्रमांक– 474140255

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूज कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह
ग्राम कॉजरहेडी पोस्ट भाजू तह0 शामली बाबरी मुजफ्फूरनगर उ0प्र0
251319
अनुक्रमांक– 474200037

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

लियाकत अली पुत्र श्री इस्लाम खॉ
ग्राम खानपुर डाक0 बुटराडा बाबरी मुजफ्फरनगर उ0प्र0 251305
अनुक्रमांक– 474170078

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित मलिक पुत्र श्री धसीटा मलिक
ग्राम व पोस्ट मखमूलपुर कॉधला मुजफफरनगर उ0प्र0 247775
अनुक्रमांक– 477220326

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री बाबूराम
ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर पो0 निरमाना, थाना–शाहपुर,
जनपद–मुजफफरनगर–251001
अनुक्रमांक– 474101498

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश
ग्राम व पो0–फुगाना, जनपद–मुजफफरनगर–247776
अनुक्रमांक– 474110590

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विक्रान्त पंवार पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह
गॉव व डा0–घटायन, जानसठ, जनपद मुजफफरनगर–251314
अनुक्रमांक– 474120405

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह
गांव–जटनंगला, डा0 बडकली सदर कोतवाली,
जनपद–मुजफफरनगर–251202
अनुक्रमांक– 474200022

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह
ग्राम व पो0 बरवाला, थाना शाहपुर जनपद मुजफफरनगर–251001
अनुक्रमांक– 474150104

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

साकिर खान पुत्र श्री इकबाल
मो0 प्रेमनगर, टाउन एलम, पो0 खास, थाना कांधला, जनपद मुजफ्फुरनगर–247771
अनुक्रमांक– 474101582

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नवीन कुमार पुत्र श्री बालक राम
ग्राम व पोस्ट–भुम्मा, तहसील–जानसठ, थाना–मीरापुर
जनपद–मुजफ्फरनगर–251315
अनुक्रमांक– 474110009

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रमोद कुमार पुत्र श्री अजब सिंह
ग्राम–गदनपुरा, पोस्ट–कैलावडा कलॉ, थाना–खतौली,
जनपद–मुजफ्फरनगर–251201
अनुक्रमांक– 474110638

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उत्तम कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह
ग्राम व पोस्ट–चूनसा, थाना–भौरा कलॉ, जनपद–मुजफ्फनगर–251305
अनुक्रमांक– 474180782

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राज कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह
मो0–पछाला थाने के पास, कस्बा मीरापुर, तहसील–जानसठ
थाना–मीरापुर जनपद–मुजफ्फरगनर–251315
अनुक्रमांक– 474101485

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सोनू कुमार पुत्र श्री इलम चन्द
ग्राम व पोस्ट–पिन्डोर थान–झिझांना जनपद–मुजफ्फरनगर–247778
अनुक्रमांक– 477220039

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय कुमार राठी पुत्र श्री प्रमेन्द्र कुमार राठी
ग्राम–सोनटा पोस्ट–मनसूर पुर तहसील–खतौली थाना–मसूरपुर
जनपद–मुफ्फरनगर 251203
अनुक्रमांक– 474170237

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिनेश मलिक पुत्र श्री आजाद सिंह
ग्राम व पोस्ट–पिन्ना कोतवाली मुफ्फरनगर 251001
अनुक्रमांक– 474170180

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनुभा पुत्र श्री माता का नाम सविता त्यागी
ग्राम व पोस्ट–नावला सताली पट्टी थाना–मसूरपुर जनपद–मुफ्फरनगर
251201
अनुक्रमांक– 474180749

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रहास सिंह
ग्राम कजरहेडी, पोस्ट शाज्जू, तहसील शामली, थाना बाबरी, जनपद
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 474200036

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उत्तम कुमार पुत्र श्री **ओमपाल सिहं**

कस्बाध्पोस्ट.बनत मौहल्ला.सुभाषनगर थाना.आदर्श मण्डी

शामली जनपद.मुजफ्फरनगर.247776

अनुक्रमांक– 474200263

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित चौधरी पुत्र श्री **कृष्णपाल सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.भाज्जु थाना.भौरा कला जनपद.मुजफ्फरनगर.

251319

अनुक्रमांक– 477210821

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अंकित कुमार पुत्र श्री **हरेन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.भोकरहेडीए मोहल्ला.लक्कुपुरा उत्तरी थाना.

भोपा जनपद.मुजफ्फरनगर.251316

अनुक्रमांक– 474130036

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनीष कुमार पुत्र श्री **राजपाल सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.मुण्डभर थाना.भौरा कला जनपद.मुजफ्फरनगर.

251319

अनुक्रमांक– 474130233

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रोबिन कुमार पुत्र श्री **जगमाल सिंह**

ग्राम.सापलाँ पोस्ट.हथछौया थाना.झिझांना जनपद.

मुजफ्फरनगर.247778

अनुक्रमांक– 474130113

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुमित कुमार पुत्र श्री **सत्यकेतू सिंह**

ग्राम.जागाहेडी पोस्ट.काजीखेड़ा थाना.तितावी जनपद.

मुजफ्फरनगर.251306

अनुक्रमांक– 477220010

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नितिन कुमार पुत्र श्री **रामपाल सिंह**

म0नं0.464ध्38ध्1 दक्षिणी सिविल लाईन मौ0.सुमन विहार

जाट कालोनी थाना.नई मण्डी जनपद.मुजफ्फरनगर.251001

अनुक्रमांक– 474130114

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री **हरवीर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.कसेरवा कलाँ तहसील.शामली थाना.शामली

जनपद.मुजफ्फरनगर.247776

अनुक्रमांक– 474200349

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेन्द्र सिंह रावल पुत्र श्री **सोपाल सिंह रावल**

नि0 नंगला हरेरु ग्राम.रणात्ता थाना.फलावदा जनपद.मेरठ.

250401

अनुक्रमांक– 437080225

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहम्मद जहाँगीर पुत्र श्री **खान मौ0**

ग्राम. बधौलीए पोस्ट.खरखौदा जनपद.मेरठ थाना.खरखौदा

जनपद.मेरठ.245206

अनुक्रमांक– 437080187

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सचिन कुमार पुत्र श्री **देवेन्द्र त्यागी**

ग्राम.रहदरा पोस्ट.पसवाड़ा

थाना.परीक्षितगढ़ जनपद.मेरठ.250106

अनुक्रमांक– 477180335

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

निशा रानी पुत्र श्री **मामचन्द सिंह**

ग्राम.चामरोद पोस्ट.बहसूमा थाना.हस्तिनापुर जनपद.मेरठ.

250404

अनुक्रमांक– 437130192

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिखा त्यागी पुत्र श्री **वीरेन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.कौल निकट खरखौदाए थाना.खरखौदा जनपद.

मेरठ.245206

अनुक्रमांक— 437080382

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अशोक कुमार पुत्र श्री **जगपाल सिंह**

नि0. मोहल्ला शिवाजी नगर;छावनीद्ध तहसीलध्पोस्टध्थाना.

सरधना जनपद.मेरठ.250342

अनुक्रमांक– 477180560

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौरभ त्यागी पुत्र श्री **सर्वेश त्यागी**

ग्रामध्पोस्ट.गणेशपुर थाना.हस्तिनापुर जनपद.मेरठ.250404

अनुक्रमांक– 477180564

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विपिन मलिक पुत्र श्री राकेश कुमार
592 नगला ताशी कंकरखेडा मेरठ उ0प्र0–250001
अनुक्रमांक– 437080441

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुलदीप कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
1–199 श्रद्धापुरी फेस–1 कंकरखेडा मेरठ, कैण्ट मेरठ कंकरखेडा मेरठ
उ0प्र0 250001
अनुक्रमांक– 437070500

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहित कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह
ग्राम आलमगिरपुर बढला–12 पोस्ट परीक्षितग्रढ, किला परीक्षितगढ
किला मेरठ उ0प्र0 250406
अनुक्रमांक– 477200557

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रमोद कुमार पुत्र श्री दीनदयाल
ग्राम व डा0 सिसौली, मुंडाली, जनपद–मेरठ–250001
अनुक्रमांक– 437060463

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जोनसन कुमार पुत्र श्री मामराज सिंह
ग्राम–दबथला, पोस्ट–ऐतमादपुर, परिक्षितगढ़, जनपद–मेरठ–250406
अनुक्रमांक– 437130156

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल देशवाल पुत्र श्री राजवीर सिंह
ग्राम व पो0 सॉघन थाना–इंचौली, जनपद मेरठ–250401
अनुक्रमांक– 477160336

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वीरपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
पता–330 नई बस्ती लल्लापुल साबुन गोदाम थाना टी0पी0 नगर
जनपद–मेरठ–250002
अनुक्रमांक– 437140272

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह
मकान नं0–17/3 पंचवटि कालोनी निकट जय देवीनगर गढ़रोड़ थाना
नौचन्दि जनपद–मेरठ–250002
अनुक्रमांक– 437130146

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बन्टी पुत्र श्री निरंजन
ग्राम–काजीपुर, पोस्ट–घोसीपुर, थाना–खरखौदा जनपद मेरठ–250004
अनुक्रमांक– 437110444

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मुनुज प्रसाद पुत्र श्री टीकाराम
ग्राम व पोस्ट–खाना थाना–लिसाडी गेट जनपद–मेरठ–250002
अनुक्रमांक– 437140261

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुशील कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह
ग्राम व पोस्ट–कैली थाना–खरखौदा जनपद–मेरठ–245206
अनुक्रमांक– 437060066

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीधि कान्त पुत्र श्री चरन सिंह
म0नं0–371/73, न्यू गोविन्दपुरी, गली नम्बर–8 मोहम्मदपुर रोड कंकड
खेडा थाना–कंकड खेडा जनपद–मेरठ–250001
अनुक्रमांक– 437070019

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुबोध कुमार सहाय पुत्र श्री –

–

अनुक्रमांक– 437060296

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुलदीप सिंह पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह
ग्राम–पस्तरा पोस्ट–सिवाल खस थाना–जानी जनपद–मेरठ 250501
अनुक्रमांक– 477180876

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनीष कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह
ग्राम–छिलौरा किला रोड थाना–भावनपुर जनपद–मेरठ 250001
अनुक्रमांक– 477210617

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अल्का पुत्र श्री बम्हपाल सिंह
ग्राम–करनावल पोस्ट व थाना–सरूरपुर खुर्द जनपद–मेरठ 250344
अनुक्रमांक– 437130456

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुमारी रेणुका पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह
ग्राम व पोस्ट–भटीपुरा थाना–पिठौर जनपद–मेरठ 250001
अनुक्रमांक– 437140009

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

टीनू पुत्र श्री जसपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट व थाना–सरूपुर खुर्द तहसील सरधना जिला–मेरठ
250344
अनुक्रमांक– 437140385

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ममता पुत्र श्री रामपाल सिंह
ग्राम–दरियापुर पोस्टहस्तिनापुर तहसील मवाना थाना हस्तिनापुर जनपद
मेरठ–250404
अनुक्रमांक– 437130453

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शशि देवी पुत्र श्री श्री किरनपाल सिंह
ग्राम–नगला शेखू पोस्ट–कस्तला थाना इच्चौली जनपद–मेरठ 250001
अनुक्रमांक– 477180895

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

परवीन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश
ग्राम जलालपुर, थाना इचौली, जिला, मेरठ।
अनुक्रमांक– 437100145

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशीष चौधरी पुत्र श्री देवराज सिंह
ग्राम व पोस्ट ऐलमादपुर, थाना किला परीक्षितगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 437080027

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण कुमार पुत्र श्री **नत्थू सिंह**

ग्राम.उप्लैहडा पोस्ट.महोद्दीनपुर थाना.परतापुर जनपद.मेरठ.

250205

अनुक्रमांक– 437090015

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजकमल पुत्र श्री राजपाल सिंह
ग्राम व पो0 मैथना इन्दर सिंह, थाना–इचौली, जनपद– मेरठ, 250001
अनुक्रमांक– 437120088

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कु0 अनुराधा पुत्र श्री **ओमवीर सिंह**

ग्राम.गढमलपुर सागडीए पोस्ट.कुरावा थाना.फुगना जनपद.

मुजफ्फरनगर.251309

अनुक्रमांक– 472210275

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मैनपुरी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिचा यादव पुत्र श्री बाबूराम यादव
म0नं0– 27 गली नं0–2 दयालपुरम् खतौली मुजफ्फरनगर उ0प्र0– 251201
अनुक्रमांक– 472150474

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **मैनपुरी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चन्द्र भूषण पाण्डेय पुत्र श्री **विद्यासागर पाण्डेय**

ग्रामध्पोस्ट.पंजपार थाना.रघुनाथपुर जनपद.सिवान राज्य.

बिहार. 841509

अनुक्रमांक— 423190304

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिहार** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविन्द्र नाथ चौबे पुत्र श्री रामानुज चौबे
ग्राम चौबेपुर पोस्ट सरॉव नटवार रोहतास बिहार 802218
अनुक्रमांक– 439250261

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिहार** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रीगल कुमार पुत्र श्री **ओमपाल सिंह**

ग्राम. मौहन्डिया पोस्ट.मण्डावर थाना.मण्डावर जनपद.

बिजनौर. 246721

अनुक्रमांक– 439030505

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरूण कुमार पुत्र श्री भूदेव सिंह
ग्रा0–भटौरा मान पोस्ट–भटियाना खुशहालपुर तह0 व थाना धामपुर
जिला बिजनौर उ0प्र0–246761
अनुक्रमांक– 439090050

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हिमान्शु चौधरी पुत्र श्री बलराम सिंह
हिमाशं चौधरी पुत्र बलराम सिंह ग्राम व पोस्ट बल्दिया हल्दौर बिजनौर
उ0प्र0– 246726
अनुक्रमांक– 439060127

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री बाबू सिंह
ग्राम–नरायनपुर रतन टाण्डा पोस्ट–मोहनपुर थाना–मण्डावली जनपद
–बिजनौर–
अनुक्रमांक– 439050298

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अवशेष कुमार पुत्र श्री शेर सिंह
ग्राम व पोस्ट–दरबाडा थाना–चॉदपुर जनपद –बिजनौर –246701
अनुक्रमांक– 439050300

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रवि कुमार पुत्र श्री सुभाष सिंह
ग्राम–शर्फुद्दीन नगर पोस्ट–टाण्डा भाई दास थाना–नगीना देहात
जनपद–बिजनौर–246763
अनुक्रमांक– 439050413

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भीम सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह
ग्राम–सत्तोनगली पोस्ट–श्योहारा थाना–श्योहारा
जनपद–बिजनौर–246746
अनुक्रमांक– 439010826

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ांशाक सिंह पुत्र श्री आर0पी0सिंह
ग्राम–नगला हरिदास उफै ईस्माईलपुर कलहेडी बी तहसील–नजीबाबाद
जनपद–बिजनौर 246763
अनुक्रमांक– 439010310

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कल्पना राजपूत पुत्र श्री बीरेन्द्र सिंह
ग्राम–ककराला पोस्ट–दरबाडा थाना–चॉदपुर जनपद–बिजनौर 246725
अनुक्रमांक– 439020419

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री **विरेन्द्र पाल सिंह**

ग्राम.फरीदपुर भौरु पोस्ट.छितावर थाना.बिजनौर जनपद.

बिजनौर.246701

अनुक्रमांक– 439080564

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पंकज कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री **रघुवीर सिंह**

ग्राम.तबीबपुर धून्दली पोस्ट.आजमपुर थाना.चाँदपुर

जनपद.बिजनौर.246734

अनुक्रमांक– 439040310

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नितिन कुमार पुत्र श्री **मुनेश्वर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.धौंकलपुर थाना.कोतवाली जनपद.बिजनौर .

246701

अनुक्रमांक– 439090038

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **बिजनौर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मदेव चौधरी पुत्र श्री शिवपूजन
ग्राम नदॉव पोस्ट बानकुइयॉ बॉसी सिद्धार्थनगर उ0प्र0 272153
अनुक्रमांक– 421080213

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सिद्धार्थनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उमेश कुमार यादव पुत्र श्री सुरेश यादव
ग्राम–खजुरिया सरकी पोस्ट व थाना–ढेबरूवा जनपद–सिद्धनगर
272201
अनुक्रमांक– 476220162

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सिद्धार्थनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

तिल्लोत्तमा त्रिपाठी पुत्र श्री त्रिपाठी बी जी भाई
ग्राम व पोस्ट–कमसार थाना–त्रिलोकपुर जनपद–सिद्धनगर 272153
अनुक्रमांक– 421080122

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सिद्धार्थनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरीश कुमार सिंह
ग्राम–लौदौटाकलॉ, पो0 मुकी, थाना बरगर, जनपद चित्रकूट–210208
अनुक्रमांक– 463070182

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **चित्रकूट** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नरसिंह पुत्र श्री **वीरेन्द्र सिंह**

ग्राम.उकाऊ पोस्ट.हिरनगाँव थाना.टुण्डला जनपद.

फिरोजाबाद.283103

अनुक्रमांक— 472130097

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फिरोजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विक्रम सिंह पुत्र श्री श्री वीरेन्द्र सिंह यादव,
ग्राम–नगलास्वेटा, पोस्ट व थाना एका, जनपद फिरोजाबाद–205122
अनुक्रमांक– 472070089

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फिरोजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूप जादौन पुत्र श्री शेर सिंह
ग्राम व पोस्ट–करहरा थाना–सिरसागंज जनपद–फिरोजाबाद 205151
अनुक्रमांक– 472090616

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फिरोजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बिनेश पुत्र श्री ग्यासी राम
ग्राम–दारापुर पोस्ट–हिरन गॉव नगला सिघी जनपद–फिरोजाबाद
283203
अनुक्रमांक– 472080195

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फिरोजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शैलेन्द्र नारायण सक्सेना पुत्र श्री **केशव नारायण सक्सेना**

ग्रामध्पोस्ट.खराखरए तहसील.राठ थाना.मझगँवा जनपद.

हमीरपुर. 210428

अनुक्रमांक– 412020551

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हमीरपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनय कुमार गुरुदेव पुत्र श्री **भैयालाल गुरुदेव**

ग्रामध्पोस्ट.गहरौली थाना.मुस्करा जनपद.हमीरपुर.210506

अनुक्रमांक– 412020452

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हमीरपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भगवान सिंह पुत्र श्री भारत सिंह
ग्राम व पोस्ट बिवॉर ,बिवॉर हमीरपुर उ0प्र0 210501
अनुक्रमांक– 412020552

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हमीरपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विवेक कुमार यादव पुत्र श्री शारदा दीन यादव
आर0टी0ओ0, आफिस के पास, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, हमीरपुर जनपद
हमीरपुर–210301
अनुक्रमांक– 412020300

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हमीरपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मानवेन्द्र कुमार पुत्र श्री **देवेन्द्र कुमार**

ग्रामध्पोस्ट.मवईजारए **थाना.बिबाँर जनपद.हमीरपुर**.210341

अनुक्रमांक– 412020290

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हमीरपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुमित कुमार वर्मा पुत्र श्री राम प्रसाद वर्मा
ग्राम खजुरिया पुरवा, (पाला) पो0 व थाना टडियांवा, जनपद हरदोई–241001
अनुक्रमांक– 437030204

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री विशेश्वर दयाल वर्मा
ग्राम–जीयनपुरवा पोस्ट–गोपामऊ थान–टडियांवा
जनपद–हरदोई–241404
अनुक्रमांक– 437030152

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दौमित्र सेन रावत पुत्र श्री परशुराम रावत
ग्राम–खेरिया(नेवाद) पोस्ट व थाना–टडियांवा जनपद–हरदोई–241001
अनुक्रमांक– 437030206

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित वर्मा पुत्र श्री परेमेश्वरदीन वर्मा
ग्राम–चन्दीपुर पोस्ट–माधवगंज थाना–माधवगंज जनपद–हरदोई 241302
अनुक्रमांक– 437010580

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीप शिखा सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह
ग्राम–लोधी पोस्ट व थाना–बघौली जनपद हरदोई–241122
अनुक्रमांक– 437020320

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रीना राठौर पुत्र श्री राम औतार राठौर
ग्राम नगरा सिकन्दरपुर कल्लू पोस्ट आर0एस0 ऑझी शाहाबाद थाना
शाहाबाद जनपद हरदोई–241124
अनुक्रमांक– 437010568

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वीरेन्द्र कुमार पाल पुत्र श्री आशा राम पाल
ग्राम व पोस्ट बेहटा रम्पुरा, थाना हरपालपुर, हरदोई, उत्तर-पदेश।
अनुक्रमांक– 437010333

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हरदोई** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धारा सिंह पुत्र श्री **अर्जुन सिंह**

ग्राम.झगरार पोस्ट. बरामई थाना.सादाबाद जनपद.

महामायानगर;हाथरसद्ध 281302

अनुक्रमांक– 473160157

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मधु यादव पुत्र श्री **शिवलाल**

ग्राम.नगला कुँवरजीए पोस्ट.जोगिया थाना.हाथरस गेट

जनपद.महामाया नगर,हाथरसद्ध.204101

अनुक्रमांक– 473140087

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रताप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह
गांव–गढ़ी तमना जिला पंचायत गली, हाथरस, हाथरस गेट, जनपद
महामायानगर–204101
अनुक्रमांक– 473140327

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

तनमय चौधरी पुत्र श्री जीवन लाल
मोहल्ला–गामेती खेडा होली गेट स्कूल के पास भगवती रोड़ कोसीकला
थाना–कोसीकला जनपद–मथुरा–281403
अनुक्रमांक– 473130288

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनोज कुमार पौनिया पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
ग्राम–करील पोस्ट–सोनई थाना–घुरसान जनपद–महामायानगर 281206
अनुक्रमांक– 473130359

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विवेक सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
गोबिन्दपुर कन्जौली सादाबाद थाना–सादाबाद जनपद–हाथरस 281306
अनुक्रमांक– 473180415

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विशवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
ग्राम–करील पोस्ट–सोनई थाना–गुरूसान जनपद–हाथरस 281206
अनुक्रमांक– 473130395

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रवीन कुमार पुत्र श्री दरब सिंह
ग्राम–बिजरपुर पोस्ट–एदलपुर थाना–सादाबाद जनपद–महामायागनर
281306
अनुक्रमांक– 473160013

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **हाथरस** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री **प्रेमशंकर उपाध्याय**

ग्राम.चकनिरंजन पोस्ट. भवानीपुर थाना.गोपीगंज जनपद.

संतरविदासनगर;भदोहीद्ध .221303

अनुक्रमांक– 414190182

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद कुमार मौर्या पुत्र श्री **मंशालाल मौर्या**

ग्रामध्पोस्ट.भोरी थाना.सुरियावाँ जनपद.सन्त रविदास नगर. 221404

अनुक्रमांक– 414170580

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम कुमार दूबे पुत्र श्री **शारदा प्रसाद दूबे**

ग्रामध्पोस्ट.सराय.कंसराय;राम कुमार दूबेद्वए थाना.दुर्गागंज

जनपद.भदोही.221404

अनुक्रमांक– 414190018

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राधवन त्रिपाठी पुत्र श्री आशीष त्रिपाठी
उदयकरनपुर सरवतखानी सन्तरविदास नगर भदोही–आशीष त्रिपाठी
औराई सन्तरविदासनगर भदोही उ0प्र0 221314
अनुक्रमांक– 414200190

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार तिवारी पुत्र श्री गणेश प्रसाद तिवारी
ग्राम शेरपुर गोपलहॉ पोस्ट दुर्गागंज सन्तरविदासनगर भदोही उ0प्र0
221404
अनुक्रमांक– 414200309

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिराज सरोज पुत्र श्री सुभाष चन्द्र
ग्राम–हरियॉव, पोस्ट–भदोही, थाना–भदोही, जनपद–संतरवीदास नगर–221401
अनुक्रमांक– 414160552

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार यादव पुत्र श्री **राम नारायण यादव**

ग्राम.भुलईपुर पोस्ट.बहरी थाना.चौरी जनपद.संतरविदास

नगर;भदोहीद्व.221402

अनुक्रमांक– 414160368

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **भदोही** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कमलाकर पाण्डेय पुत्र श्री **वेदव्यास पाण्डेय**

ग्राम. ऐमापुर बिन्धनए **पोस्ट.राजापुर बिन्धन तहसील.**

कुण्डा थाना. महेशगंज जिला.प्रतापगढ़ पिन.230128

अनुक्रमांक– 463110042

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्री **महेन्द्र प्रताप सिंह**

ग्राम. मरहाँ पोस्ट.बेलारामपुर थाना. पट्टी जनपद. प्रतापगढ़

पिन. 230135

अनुक्रमांक– 414150456

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राधा कृष्ण तिवारी पुत्र श्री **बृजेन्द्र कुमार तिवारी**

ग्राम.मातपुर पोस्ट.मनगढ़ थाना.कुण्डा जिला.प्रतापगढ़.

229417

अनुक्रमांक– 414140409

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अर्पित पाण्डेय पुत्र श्री **सुरेश नारायण पाण्डेय**

नि0. आर.258ध188 बलीपुर थाना.कोतवाली जनपद.प्रतापगढ़.

230001

अनुक्रमांक– 414150678

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

योगेश कुमार शुक्ल पुत्र श्री **संतोष कुमार शुक्ल**

ग्राम.करमाजीत पट्टी पोस्ट.बिहार तहसील.कुण्डा थाना.

बाघराय जनपद.प्रतापगढ़.230201

अनुक्रमांक– 463100246

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुधीर सिंह पुत्र श्री **महेन्द्र प्रताप सिंह**

नि0. मकान नं0 495ए खादी आश्रम कार्यालय के पीछेए

विवेक नगर थाना. सदर कोतवाली जनपद.प्रतापगढ़.230001

अनुक्रमांक– 463090308

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री **त्रिवेणी प्रसाद चतुर्वेदी**

ग्राम.रइया पोस्ट.जोगीपुर थाना.कंधई हनुमानगंज जनपद.

प्रतापगढ़.230142

अनुक्रमांक– 463090149

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रवीण सिंह पुत्र श्री **लालसमर सिंह**

ग्राम.पूरे खीचरए पोस्ट.भडी थाना.कुण्डा जनपद.प्रतापगढ़.

230201

अनुक्रमांक– 463100468

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कौशल सिंह पुत्र श्री **राकेश कुमार सिंह**

ग्राम.श्रीनाथपुर पोस्ट.राजगढ़ थाना.कोतवाली जनपद.

प्रतापगढ़.230131

अनुक्रमांक– 414110650

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विपिन कुमार मिश्र पुत्र श्री **छोटेलाल मिश्र**

ग्राम.उपाध्याय पुर;घोपालीपुरद्ध पोस्ट.सराय महेश ए

तहसीलध्थाना. पट्टी जनपद.प्रतापगढ़.230135

अनुक्रमांक– 414150022

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक सिंह पुत्र श्री **तेजबहादुर सिंह**

ग्राम.सराय सेवक पोस्ट.कटरा गुलाब सिंह थाना.जेठवारा

जनपद.प्रतापगढ़.230146

अनुक्रमांक– 463100100

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविकान्त द्विवेदी पुत्र श्री **वृज किशोर द्विवेदी**

ग्राम.पूरे बुद्धीधर पोस्ट.बाबागंज थाना.संग्रामगढ़ जनपद.

प्रतापगढ़.230143

अनुक्रमांक– 414110645

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रवि कुमार सिंह पुत्र श्री **शमशेर बहादुर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.गोबरी थाना.अन्तू जनपद.प्रतापगढ़.230001

अनुक्रमांक– 463110134

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

देवेन्द्र कुमार ओझा पुत्र श्री कृष्णकुमार ओझा
ग्राम भुजेढी पोस्ट बसियारा तह0 कुण्डा बाधराय प्रतापगढ उ0प्र0
230204
अनुक्रमांक– 463100229

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

लालचन्द राजक पुत्र श्री रामकिशोर राजक
ग्राम पुरे गोविन्द राय, पो0 कुम्भापुर (लालगंज अझारा) थाना सॉगीपुर,
जनपद प्रतापगढ–230132
अनुक्रमांक– 414120076

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्त प्रसाद पुत्र श्री स्व0 राम अधार
ग्राम–पूरेगडरियन(बरियॉवा) पोस्ट–आलापुर(कालाकाकर) थाना–नवाबगंज
जनपद–प्रतापगढ़–229408
अनुक्रमांक– 414110313

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री भोलानाथ गुप्ता
ग्राम होशियारपुर पोस्ट चरैया, तहसील पट्टी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 414110270

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सोनेन्द्र सिंह पुत्र श्री **राम आसरे सिंह**

ग्रामध्पोस्ट. सुदामापुर थाना. गदागंज जनपद. रायबरेली

पिन.229204

अनुक्रमांक– 463110558

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशुतोष शर्मा पुत्र श्री **चन्द्रमोहन शर्मा**

ग्राम.रसूलपुर पोस्ट.मुरारमऊ थाना.सरेनी जनपद.रायबरेली.

229212

अनुक्रमांक– 463150936

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री **राम सहारे गुप्ता**

नि0 निकट मेन रोड नाला पुल के पास बस स्टॉप ऊँचाहार

थाना.ऊँचाहार जनपद.रायबरेली.229404

अनुक्रमांक– 463160797

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव सिंह पुत्र श्री **शिव नारायण सिंह**

एचआईजी.2 जवाहर विहार कालोनीए रायबरेली थाना

मिलएरिया जनपद.रायबरेली.229001

अनुक्रमांक— 463160303

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वन्दना अग्रहरि पुत्र श्री **रामदेव अग्रहरि**

फायर स्टेशन के सामनेए कचहरी रोडए थाना. रायबरेली

जनपद.रायबरेली.229001

अनुक्रमांक– 463130258

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रियंका सिंह पुत्र श्री **शत्रुघ्न सिंह**

नि0. 659 गांधी नगर मनिका सिनेमा के पीछे जनपद.

रायबरेली.229001

अनुक्रमांक— 463130221

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीप्ती सिंह पुत्र श्री **नागेन्द्र बहादुर**

ग्रामध्पोस्ट.बेलागुसीसीए थाना. भदोखर जनपद.रायबरेली.

229001

अनुक्रमांक– 463160193

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवांगी त्रिपाठी पुत्र श्री **विजय कुमार त्रिपाठी**

नि0.बी.331 इन्दिरा नगर जनपद.रायबरेली.229001

अनुक्रमांक– 463130209

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री **रामसजीवन**

ग्राम.मधुकरपुर;नवीनद्ध पोस्ट.मुराई बागए थाना.डलमऊ

जनपद.रायबरेली.229207

अनुक्रमांक– 463110465

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री **नरेन्द्र कुमार सिंह**

एच0आई0जी0.58 जवाहर विहार कालोनी सुल्तानपुर रोड

थाना.मिल एरिया जनपद.रायबरेली.229001

अनुक्रमांक— 463170260

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सनील कुमार पुत्र श्री जगमोहन
ग्राम–मदुरी पोस्ट–मुबारकपुर थाना–लालगंज
जनपद–रायबरेली–229206
अनुक्रमांक– 463130480

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय कुमार चौधरी पुत्र श्री रामकुमार चौधरी
ग्राम–विशुनपुर पोस्ट व थाना–बछरावा जनपद–रायबरेली 229301
अनुक्रमांक– 463150200

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमितेन्द्र सिंह पुत्र श्री **सत्य प्रकाश चौधरी**

ग्राम.जीगों पोस्ट.टिलेन्डा थाना.बछरावाँ जनपद.रायबरेली.

229301

अनुक्रमांक– 463110474

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रायबरेली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रवीण कुमार झा पुत्र श्री **द्वारिका नाथ झा**

नि0 म0नं0.707ए नई कॉलोनी आगापुर रोडए ज्वाला नगरएथाना.सिविल लाइन्स जनपद.रामपुर.244901

अनुक्रमांक– 424300535

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रामपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मो0 अकरम पुत्र श्री इमामुददीन
ग्राम रूसतमनगर, निकट रायपुर, पो0 मीरापुर मीरगंज, तह0 व
थाना–स्वार, जनपद रामपुर–244924
अनुक्रमांक– 424290719

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रामपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रीता मौर्या पुत्र श्री लाल बहादुर मोर्या
ग्राम–कन्दई पोस्ट–लालाबाजार थाना–नबाबगंज तहसील–कुण्डा
जनपद–प्रतापगढ 229408
अनुक्रमांक– 424300790

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **रामपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिजवान अली पुत्र श्री **इम्ताज अली**

ग्रामध्पोस्ट.गिलौला थाना.गिलौला तहसील. इकौना जनपद.

श्रावस्ती.271835

अनुक्रमांक– 475120154

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **श्रावस्ती** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेन्द्र मोहन पुत्र श्री **देवेन्द्र नाथ**

ग्रामध्पो0. चपरा पूर्वी थाना.घनघटा जनपद.सन्तकबीरनगर

पिन.272162

अनुक्रमांक– 476200232

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **संतकबीरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार पुत्र श्री **बाबूराम**

ग्राम.मकदूमपुर पोस्ट.महनी थाना.दुधारा जनपद.

सन्तकबीर नगर.272125

अनुक्रमांक– 476190621

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **संतकबीरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रितु काजल पुत्र श्री जयपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट–टाबर थाना–नकुड जनपद–सहारनपुर 247342
अनुक्रमांक– 474280389

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सहारनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विराग कुमार मिश्र पुत्र श्री **अशोक कुमार मिश्र**
के0 आँफ श्रीमती कुलदीप मिश्र मो0 कैथा पोस्ट थाना
महोली जनपद.सीतापुर 261141
अनुक्रमांक– 449150251

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूप वर्मा पुत्र श्री **राम कुमार वर्मा**

ग्राम.हाजीपुर पोस्ट.मनिकापुर थाना.सदरपुर जनपद.

सीतापुर.261201

अनुक्रमांक– 449090167

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पूजा देवी पुत्र श्री **तारा चन्द्र**

ग्राम.शाहपुर पोस्ट.हसनापुर थाना.कमलापुर जनपद.

सीतापुर. 261302

अनुक्रमांक– 449090014

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आदित्य कुमार पुत्र श्री **हनुमान प्रसाद**

ग्राम.अयनापुर पोस्ट.गोण्डा देवरिया थाना.रामपुर मथुरा

जनपद.सीतापुर.261204

अनुक्रमांक– 449140033

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मुकेश कुमार बाजपेई पुत्र श्री **लवकुश बाजपेई**

नि0. मो0.झज्झरए पोस्ट.बिसवां थाना.बिसवां जनपद.

सीतापुर.261201

अनुक्रमांक– 449140038

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिचा पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार
आर्दश नगर सेक्टर–1 सीतापुर कोतवाली सीतापुर, सीतापुर उ0प्र0
261001
अनुक्रमांक– 449100196

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उदय प्रताप सिंह पुत्र श्री महेश प्रसाद
ग्राम–भिठमनी, पोस्ट–कोटरा, तहसील–बिसवॉ, थाना–सकरन
जनपद–सीतापुर–261201
अनुक्रमांक– 449090228

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रामेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री प्रेमचन्द्र वर्मा
ग्राम मरखापुर पोस्ट पोखरा कलॉ तह0 महमूदाबाद सदरपुर सीतापुर
उ0प्र0 261201
अनुक्रमांक– 449090168

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सीतापुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पंकज कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री **ब्रहमानन्द त्रिपाठी**

ग्राम.मदैनियाँ पोस्ट.करमा थाना करमा जनपद.सोनभद्र.

231216

अनुक्रमांक– 441160348

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अम्बुज कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री **ब्रह्मानन्द त्रिपाठी**

ग्राम.मदैनियाँ पोस्ट.करमा थाना करमा जनपद.सोनभद्र.

231216

अनुक्रमांक– 441160349

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र श्री विजय पाल सिंह
ग्राम व पो0 भाकंला, थाना रामपुर मनिहारन,
जनपद–सहारनपुर–247451
अनुक्रमांक– 441150246

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरिन्दर प्रसाद पुत्र श्री देवधारी
ग्राम–शिल्पी, पोस्ट–रिजूल, घोराबल जनपद सोनभद्र–231215
अनुक्रमांक– 441140243

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरविन्द कुमार बैस पुत्र श्री राम नारायण बैस
ग्राम व पोस्ट–खाहोर, तहसील दुष्टि, थाना चोपन जनपद सोनभद्र
पिन–231225
अनुक्रमांक– 441140239

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीन दयाल गुप्ता पुत्र श्री राधे कृष्ण गुप्ता
ग्राम व पोस्ट–सहिजन कला थाना–रार्बटगंज जनपद–सोनभद्र 231216
अनुक्रमांक– 441150287

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ऑचल पुत्र श्री सुनील कुमा शर्मा
गाम व पोस्ट–गुनारसा तहसील देवबन्द थाना देवबन्द
जनपद–सहारनपुर–247554
अनुक्रमांक– 441170040

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वन्दना यादव पुत्र श्री कतवारू प्रसाद यादव
ग्राम–जैत पोस्ट–राबर्टसगंज थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र–231216
अनुक्रमांक– 441140305

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सोनभद्र** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री **राम भुआल पाण्डेय**

के0आँफ तुलसीराम मिश्राए ग्रामध्पोस्ट.महारानी पश्चिम

थाना.चांदा जनपद.सुल्तानपुर.222303

अनुक्रमांक– 480100132

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित सिंह पुत्र श्री **बसन्त कुमार सिंह**

नि0 भूपतिपुर;काशीपुरद्धए पाकरपुरए कादीपुरए सुल्तानपुर

थाना.कादीपुर जनपद.सुल्तानपुर.228161

अनुक्रमांक– 480091224

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवमंगल सिंह पुत्र श्री **भोलेन्द्र प्रताप सिंह**

ग्राम.बेलौलीए पोस्ट.प्रतापपुर परगना.बरौंसा तहसील.सदर

थाना.कूरेमार जनपद.सुल्तानपुर.228125

अनुक्रमांक– 480091180

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र दूबे पुत्र श्री **शिवशंकर दूबे**

ग्राम.सराय गोपालए पोस्ट.वैंती कलाँ थाना.चाँदा जनपद.

सुल्तानपुर.222301

अनुक्रमांक— 463170850

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरिश चन्द्र पुत्र श्री रामभरोस
ग्राम मलिकपुर, पो0 पखरौली, थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर–228001
अनुक्रमांक– 463180215

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आरती वर्मा पुत्र श्री राक वक्श
ग्राम–सजवनहरिनाथपुर पोस्ट–जजरही जमालपुर थाना जयसिंहपुर
जनपद–तुलतानपुर–228141
अनुक्रमांक– 463180018

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **सुलतानपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह
ग्राम रूदीखेडा पोस्ट–मझिगवॉ बारा सगवर उन्नाव उ0प्र0–229501
अनुक्रमांक– 449170544

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप पटेल पुत्र श्री बलवन्त कुमार
ग्राम रछोलिया पोस्ट थानीखेडा बारा सगवर उन्नाव उ0प्र0 229501
अनुक्रमांक– 449171129

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शोभित कटियार पुत्र श्री दिनेश कुमार कटियार
ग्राम हसनपुर मदरा पोस्ट गंज मुरादाबाद बॉगरमऊ उन्नाव उ0प्र0
241502
अनुक्रमांक– 449171052

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

निर्मल कुमार पुत्र श्री देवीचरण यादव
ग्राम सैयद अब्बासपुर, पो0 उन्नाव सदर कोतवाली जनपद उन्नाव–209801
अनुक्रमांक– 449190248

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बिपिन कुमार पुत्र श्री नन्हा
ग्राम–गेगलामऊ पोस्ट–मियॉगंज थाना–आसीवन
जनपद–उन्नाव–241503
अनुक्रमांक– 449190195

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पूजा कुमारी पुत्र श्री सुरेश कुमार
ग्राम–सैदपुर कलवारन खेर पोस्ट–बन्ध हमीरपुर थाना–अचंलगंज
जनपद–उन्नाव 209801
अनुक्रमांक– 449180065

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ज्योति वर्मा पुत्र श्री राजू वर्मा
पौनी रोड, बहमनगर, शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव–209861
अनुक्रमांक– 449180133

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहित वर्मा पुत्र श्री इन्द्र पाल
मोहित वर्मा वास्ते श्री राम आश्रय वर्मा, ग्राम रछोलिया, पोस्ट धानीखेड़ा,
थाना बरा सगवर, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 449171148

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौम्य कुमार जायसवाल पुत्र श्री

ग्रामध्पोस्ट.रऊ करना थाना.माखी जनपद.उन्नाव.209801

अनुक्रमांक– 449170648

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चॉदनी देवी पुत्र श्री भगवती सिंह
ग्राम–जंगलीखेड़ा, पोस्ट व थाना–बीधापुर जनपद उन्नाव
अनुक्रमांक– 414270077

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **उन्नाव** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बेचु प्रसाद गोंड पुत्र श्री **सुरेश प्रसाद गोंड**

ग्राम. पुरुषोत्तमपुर पोस्टध्याना. रामपुर कारखाना जनपद.

देवरिया पिन.274001

अनुक्रमांक– 476080143

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चन्दन पुत्र श्री **मनोज कुमार**

ग्राम.भुडसुरी पोस्ट.बौरडीह थाना.लार जनपद.देवरिया .

274502

अनुक्रमांक– 476010035

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौरभ कुमार मिश्र पुत्र श्री **भृगुजी मिश्र**

ग्राम. बरडीहा पोस्ट.तुलसीबारा थाना. खुखुन्दू जनपद.

देवरिया .274309

अनुक्रमांक– 476060289

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जीवन त्रिपाठी पुत्र श्री **अरविन्द त्रिपाठी**

ग्राम.सोनखरिका पोस्ट.गड़ेर थाना.भलुअनी जनपद.देवरिया.

274001

अनुक्रमांक– 476010388

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शशांक सिंह पुत्र श्री **भानू सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.चुरिया थाना.लार जनपद.देवरिया.274502

अनुक्रमांक– 476080515

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कामेश्वर कुमार मिश्र पुत्र श्री **शम्भूनाथ मिश्र**

ग्रामध्पोस्ट.कसिलीए थाना.मईलए जनपद.देवरिया.276004

अनुक्रमांक– 476020073

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रतीश चंचल पुत्र श्री **शालिग्राम पाण्डेय**

ग्राम.कुम्हाचक पोस्ट.बलुआँ थाना.बनकटा जनपद.देवरिया.

274704

अनुक्रमांक– 476060292

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनय प्रताप सिंह पुत्र श्री **रविन्द्र प्रताप सिंह**

ग्राम.करौताए पोस्ट.चेरो थाना.मईल जनपद.देवरिया.274001

अनुक्रमांक– 476010931

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पप्पू पुत्र श्री लल्लन
ग्राम जीरासो पोस्ट–भागलपुर मईल देवरिया उ0प्र0–274602
अनुक्रमांक– 476010560

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशुतोष कुमार पुत्र श्री शिवजी शुक्ल
आशुतोष शुक्ल पुत्र शिवजी शुक्ल ग्राम सरावॅ पोस्ट सरावॅ एकौना
देवरिया उ0प्र0–274208
अनुक्रमांक– 476011001

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ओम प्रकाश मिश्र पुत्र श्री राज किशोर मिश्र
मुहल्ला उमानगर दक्षिणी मकान नं0 764 वार्ड नं0 5 देवरिया देवरिया
कोतवाली देवरिया उ0प्र0 274001
अनुक्रमांक– 476070360

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री रणवीर कुँवर सिंह
ग्राम व पोस्ट नकइल मदनपुर देवरिया उ0प्र0 274205
अनुक्रमांक– 476020020

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जीतेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री शेषनाथ सिंह
ग्राम अम्भा पाण्डेय पोस्ट भुलईपुर मदनपुर देवरिया उ0प्र0 274603
अनुक्रमांक– 476011029

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामप्यारे
ग्राम लक्ष्मीपुर पो0 लक्ष्मीपुर, वाया–रूद्रपुर जनपद देवरिया–274204
अनुक्रमांक– 476010494

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरी ओम पुत्र श्री राम दुलारे
ग्राम–सरॉव खुर्द, पोस्ट–सरॉव बुजुर्ग, थाना–एकौना
जनपद–देवरिया–274208
अनुक्रमांक– 476010006

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमर नाथ यादव पुत्र श्री बिहारी यादव
ग्राम–फतेहपुर–अभयपुर पोस्ट–फतेहपुर थाना–रूद्रपुर जनपद–देवरिया
274001
अनुक्रमांक– 476010657

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजय कुमार यादव पुत्र श्री **स्व0 राम सेवक यादव**
ग्राम.भीमपुरए पोस्ट.देवरियाँए तहसील.देवरिया थाना.
कोतवाली सदर जनपद.देवरिया.274001
अनुक्रमांक— 476010345

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गिरीजेश मिश्रा पुत्र श्री **स्व0 कौशल कुमार मिश्र**

नि0. ए.11ध्84 नया महादेव काशी आर0एस0 राजघाट थाना.

आदमपुर जनपद.वाराणासी.221001

अनुक्रमांक– 414290291

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरुण कुमार यादव पुत्र श्री **गिरजा शंकर यादव**

ग्राम.सादात मासौड़ा;बदलपुरद्ध पोस्ट.कजगाँव तहसील.सदर

थाना.जफ़राबाद जनपद.जौनपुर.222138

अनुक्रमांक– 414330151

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रभु नारायण यादव पुत्र श्री **पनारु यादव**

ग्राम.मठ;खरावनद्ध पोस्ट.खरावन थाना.बड़ागाँव जनपद.

वाराणासी.221201

अनुक्रमांक– 414210001

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौरभ सिंह पुत्र श्री सुनील सिंह
11–240 नवापुरा सारनाथ, जनपद वाराणसी–221007
अनुक्रमांक– 414300011

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश यादव पुत्र श्री **सीताराम यादव**

मकान नं0.2**ध्**216 **मछरहट्टा वार्ड रामनगर थाना.रामनगर**

जनपद.वाराणासी.221008

अनुक्रमांक– 414260412

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **वाराणसी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक सिंह पुत्र श्री **दामोदर सिंह**

ग्राम.पपरौल पोस्ट.डबरिया थाना.धानापुर जनपद.चन्दौली.

232105

अनुक्रमांक– 478100722

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **चन्दौली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुलदीप सिंह पुत्र श्री चन्द्रभूषण सिंह
ग्राम–कौड़िहार, पो0 खरौझा, चकिया, जनपद चन्दौली–232103
अनुक्रमांक– 478090259

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **चन्दौली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वरूण कुमार राकेश पुत्र श्री याम धारी कौशल
पता–246 आनन्दनगर कालीमहाल थाना–मुगलसराय
जनपद–चन्दौली–232101
अनुक्रमांक– 455010284

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **चन्दौली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिव कुमार कुशवाहा पुत्र श्री **निर्मल प्रसाद**

ग्राम.तारापुर पोस्ट.सदलपुरा थाना.अलीनगर जनपद.

चन्दौली.232120

अनुक्रमांक– 478090454

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **चन्दौली** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुषमा चौधरी पुत्र श्री **विजय प्रसाद चौधरी**
के0आँफ रमाशंकर त्रिपाठीए275.हनुमन्त कालोनीए
कलक्टरगंजए जे0के0 पब्लिक स्कूल के बगल में थाना.
सदर कोतवाली जनपद.फतेहपुर.212601

अनुक्रमांक– 462060939

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

तनवीर अहमद पुत्र श्री **सगीर अहमद**

ग्राम.इकारीए पोस्ट.बिलन्दा ब्लाकए हसेवा थाना.थरियाँव

जनपद.फतेहपुर.212647

अनुक्रमांक– 441010140

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार पुत्र श्री भैरो प्रसाद
ग्राम–भैदपुर थाना–धाता जनपद फतेहपुर–212641
अनुक्रमांक– 462090118

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह
ग्राम व पोस्ट–जाम तहसील–खागा थाना–धाता जनपद–फतेहपुर
212641
अनुक्रमांक– 462090241

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पुत्र श्री **बीरेन्द्र सिंह**

ग्राम.सलेमपुरकरवीए पोस्ट.मदनपुर थाना नगला खंगर

जनपद.फिरोजाबाद . 205151

अनुक्रमांक– 440060420

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

किशनवीर पुत्र श्री ाान्तिशरण
गॉव व डाक–ताजपुर, वाया–सैदपुर बी0बी0नगर,
जनपद–बुलन्दशहर–245411
अनुक्रमांक– 440070333

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र श्री चिरंजीलाल
गांव–खण्डवाया, पोस्ट–शिकारपुर, जनपद–बुलन्दशहर–202395
अनुक्रमांक– 440070334

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र श्री काली चरन
देवरामपुर नई कालोनी रेलवे लाइन के पास भोपत पटटी फरूखाबाद
थाना–कोतवाली जनपद–फरूखाबाद–209625
अनुक्रमांक– 440070314

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव कुमार कटियार पुत्र श्री **सर्वेश कटियार**

ग्राम.कुटरा पोस्ट.फतेहगढ़ थाना.फतेहगढ़ जनपद.

फर्रुखाबाद.209601

अनुक्रमांक– 440070617

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मदन लाल पुत्र श्री **महेश चन्द्र**

ग्राम.झिझुकी पोस्ट.कन्झाना थाना.जहानगंज जनपद.

फर्रुखाबाद.209602

अनुक्रमांक– 440080467

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अतुल कुमार पुत्र श्री **हवलदार वर्मा**

ग्राम.नगला बलिया पोस्ट.मौधा थाना.मोहम्मदाबाद

जनपद.फर्रुखाबाद.206451

अनुक्रमांक– 440070529

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फतेहगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र श्री **महेन्द्र कुमार सिंह**

1ध्2ध्58 **सलारपुर सआदतगंज पोस्ट. रिकाबगंज थाना.कैन्ट**

जनपद.फैजाबाद. 224001

अनुक्रमांक– 480080360

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री **लल्लू सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.सरायरासी थाना.महराजगंज जनपद.फैजाबाद.

224171

अनुक्रमांक– 480080578

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिव शंकर सिंह पुत्र श्री **राम प्रताप सिंह**

ग्राम.सिलौनी पोस्ट.टन्डौली थाना.महराजगंज;मयाद्ध

जनपद.फैजाबाद.224161

अनुक्रमांक– 480081086

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री **ओम प्रकाश पाण्डेय**

नि0 25ध्ध्12ए सत्यसदनए सरयू मन्दिर के सामनेए रामघाट

अयोध्या थाना.कोतवाली अयोध्या जनपद.फैजाबाद.224123

अनुक्रमांक— 480080423

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हनुभान दत्त शुक्ल पुत्र श्री गणेश दत्त शुक्ल
म0नं0– 1/1/3 विद्याकुण्ड, अयोध्या अयोध्या फैजाबाद
उ0प्र0–224123
अनुक्रमांक– 480080580

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह
ग्राम राजेपुर पोस्ट पुरा महराजगंज फैजाबाद उ0प्र0–224171
अनुक्रमांक– 480080848

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौरभ मिश्रा पुत्र श्री सतीश नारायण मिश्रा
3–15–17 धारारोड फैजाबाद कोतवाली नगर फैजाबाद उ0प्र0 224001
अनुक्रमांक– 480081077

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ध्नन्जय पाण्डेय
ग्राम–लुत्फाबाद, बछौली(अहिरौली) पो0– पुहुँपी तह0 बीकापुर, जनपद
फैजाबाद–224204
अनुक्रमांक– 480090338

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सूरज कुमार पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार
ग्राम–डेरवा पोस्ट–रसूलाबाद थाना–महराजगंज
जनपद–फैजाबाद–224172
अनुक्रमांक– 465180239

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अर्चना पुत्र श्री राम अचल
ग्रम नई बाजार पोस्ट–मीरपुर कॉटा–सोहावल थाना रौनाही जनपद
फैजाबाद–224188
अनुक्रमांक– 480061492

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सिद्धार्थ जायसवाल पुत्र श्री **रमाशंकर जायसवाल**

नि0 . मेन रोडए गोसाईगंज वार्ड नं0.9 मकान नं0 526

पोस्टध्थाना. गोसईगंज.224141

अनुक्रमांक— 480090287

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री **प्रहलाद वर्मा**

ग्राम.नसरतपुर पोस्ट.जयसिंहमऊ थाना.तारुन जनपद.

फैजाबाद.224195

अनुक्रमांक– 480071113

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **फैजाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार यादव पुत्र श्री **राजनारायण यादव**

ग्राम.साढ़ापुर पोस्ट.गोनौली थाना सिंगरामऊ जनपद.

जौनपुर .222175

अनुक्रमांक– 478120057

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक यादव पुत्र श्री **रामाकान्त यादव**

ग्रामध्पोस्ट. शाहपुर थाना.सिकरारा जनपद.जौनपुर.222131

अनुक्रमांक– 478120253

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविप्रकाश सिंह पुत्र श्री **राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

ग्राम.इब्राहिमपुर पोस्ट.महाराजगंज थाना.महाराजगंज

जनपद.जौनपुर. 222145

अनुक्रमांक– 441090211

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेन्द्र प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री **सतिराम सिंह यादव**

ग्राम.मनहन पोस्ट.जलालपुर थाना जलालपुर जनपद.

जौनपुर. 222136

अनुक्रमांक— 441070077

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री **जियालाल यादव**

ग्राम.मोलनापुर पोस्ट.मछलीशहर थाना.मछलीशहर जनपद.

जौनपुर.222143

अनुक्रमांक– 441090083

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविशंकर पुत्र श्री **मनीलाल**

ग्राम.अमाँव पोस्ट.मधुपुर थाना.मुंगरा बादशाहपुर जनपद.

जौनपुर.222202

अनुक्रमांक– 441140093

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद कुमार पुत्र श्री **हरिशंकर**

बी॰ अशोक कुमार पाण्डेय ग्रामध्पोस्ट. अरसियाँ बाजार

थाना खरपटहाँ जनपद.जौनपुर. 223103

अनुक्रमांक– 441060528

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चन्दन सिंह पुत्र श्री **बजरंग बहादुर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.लहंगपुर थाना.जलालपुर जनपद.जौनपुर.222136

अनुक्रमांक– 441100090

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुजीत कुमार यादव पुत्र श्री **हरीलाल यादव**

ग्राम.कल्यानपुर पोस्ट.गुतवन थाना.मड़ियाहूँ जनपद.

जौनपुर.222136

अनुक्रमांक– 441090137

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकास सिंह पुत्र श्री **अखिलेश सिंह**

ग्राम.दुधौरा पोस्ट.आरा थाना.गौराबादशाहपुर जनपद.

जौनपुर.222001

अनुक्रमांक– 441060529

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिरूद्ध कुमार दुबे पुत्र श्री त्रिभुवन नाथ दुबे
ग्राम भगवानपुर पोस्ट बरसठी जौनपुर उ0प्र0–222162
अनुक्रमांक– 441090229

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शशिकान्त यादव पुत्र श्री रामनयन यादव
ग्राम हिन्दीबघैला पोस्ट हिन्दी बधैला सरायख्वाजा जौनपुर उ0प्र0
222001
अनुक्रमांक– 441070099

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम अधार यादव
ग्राम पुरागम्भीरशाह पोस्ट उमरी, बदलापुर महराजगंज जौनपुर उ0प्र0
222125
अनुक्रमांक– 478110403

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह
ग्राम जमालपुर पोस्ट सदर, सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर– 222001
अनुक्रमांक– 441010764

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शशिकान्त सरोज पुत्र श्री रामनिरंजन सरोज
ग्राम खटहरा, पो0 पेसारा तह0 कराकत थाना कराकत जनपद
जौनपुर–222172
अनुक्रमांक– 441090038

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार यादव पुत्र श्री भगवान दास यादव
ग्राम–बीभानपुर पोस्ट अगरौरा, बदलापुर जनपद जौनपुर–222141
अनुक्रमांक– 441020147

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरूण कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द्र मोर्य
गॉव–चतुर्भुजपुर (डिहवा) बरसेठी, जनपद जौनपुर–222162
अनुक्रमांक– 478120177

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल राव पुत्र श्री पन्ना लाल
ग्राम व पोस्ट–बरावॉ, थाना–मीरगंज, जनपद–जौनपुर–222143
अनुक्रमांक– 441040159

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बिनोद कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल
ग्राम व पोस्ट–पेसारा, थाना–केराकत जनपद–जौनपुर–222172
अनुक्रमांक– 478110325

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

लाल मनि पुत्र श्री शिवलाल
ग्राम व पोस्ट–निगोह थाना–बरसेठी जनपद–जौनपुर–222106
अनुक्रमांक– 478110279

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिलीप कुमार पुत्र श्री विजय लाल
ग्राम–सहिजनी पोस्ट–नोनारी थाना–नेवढिया जनपद–जौनपुर–222120
अनुक्रमांक– 478110191

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनोज कुमार प्रजापति पुत्र श्री बलिराम प्रजापति
ग्राम–मुस्तफाबाद पोस्ट–जैगहॉ थाना–खेता सराय जनपद–जौनपुर
222139
अनुक्रमांक– 441110210

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय यादव पुत्र श्री दल सिंगार यादव
ग्राम–चितौडी पोस्ट–सराय हरखू थाना–बक्शा जनपद–जौनपुर 222001
अनुक्रमांक– 441070274

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज कुमार यादव पुत्र श्री राजित राम यादव
ग्राम प्रानपुर, पोस्टबनीडीह, रामपुर, जनपद जौनपुर
अनुक्रमांक– 441050127

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीत कुमार यादव पुत्र श्री **सुबेदार यादव**

ग्राम.अमारा पोस्ट.तिलौरा तहसील.मछलीशहर थाना.

मछलीशहर जनपद.जौनपुर.222143

अनुक्रमांक— 441020275

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री **अमर बहादुर यादव**

ग्राम.मुरलीपुर पोस्ट.केराकत थाना.केराकत जनपद.जौनपुर.

222142

अनुक्रमांक– 441070364

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

किशन कुमार पुत्र श्री **रामसिधार बिन्द**

ग्राम.दिपाईपुर पोस्ट.सरायमोहिउद्दीनपुर थाना.शाहगंज

जनपद.जौनपुर.223103

अनुक्रमांक– 441010501

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कमलेश कुमार यादव पुत्र श्री **गौरी शंकर यादव**

ग्राम.कोठिलापुर पोस्ट.बाकराबाद थाना.जलालपुर जनपद.

जौनपुर.222136

अनुक्रमांक– 441080189

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

इन्द्र कान्त पुत्र श्री **सुरेश यादव**

ग्रामध्पोस्ट.डेहरी;सराय मोहिद्दीनपुरद्ध थाना.सरपतहाँ

जनपद.जौनपुर.223103

अनुक्रमांक– 478110631

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जौनपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश यादव पुत्र श्री **बृज किशोर यादव**

नया रामनगरए **अजतारी रोड**ए **कृष्णाधाम के पास**ए **थाना**.

कोतवाली उरईए **जनपद**. **जालौन पिन**.285001

अनुक्रमांक— 412050441

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जालौन** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजब सिंह पुत्र श्री राम प्रकाश सिंह
पता–1411 पुष्प महल राजेन्द्र नगर उरई थाना–कोतवाली
जनपद–जालौन–285001
अनुक्रमांक– 412040190

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **जालौन** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राबीश कुमार पुत्र श्री **राजा राम वर्मा**

ओझीपुर; बड़ागाँवद्वए **जलालपुर अम्बेडकर नगर थाना.**

जलालपुर जनपद. अम्बेडकर नगर पिन.224149

फोन नं0. 09454227829

अनुक्रमांक– 421050643

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव कुमार पुत्र श्री **राजित राम**

ग्राम. सरदिलपुर पोस्ट. मछलीगांव थाना. सम्मनपुर

जनपद.अम्बेडकर नगर.224186

अनुक्रमांक– 421040109

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वलेन्द्र कुमार पुत्र श्री **धर्मराज मिश्र**

ग्राम. केदरुपुर पोस्ट.कल्याणपुर वाया जहाँगीरगंज थाना.

राजेसुल्तानपुर जनपद.अम्बेडकरनगर .224147

अनुक्रमांक– 421060083

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मालिक राम पुत्र श्री **मंगल राम**

ग्रामध्पोस्ट.जलालपुर सेहरा तहसील.भीटी थाना महरुआ

जनपद.अमबेडकरनगर .224231

अनुक्रमांक– 421030073

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक वर्मा पुत्र श्री **त्रिभवन दत्त वर्मा**

ग्राम.सेवई पोस्ट.खूखूतारा थाना. इब्राहिमपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर .224145

अनुक्रमांक– 421030107

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रिन्स श्रीवास्तव् पुत्र श्री **हरी नारायण**

ग्राम.बड़ागांव पोस्ट.जलालपुर थाना.जलालपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर. 224149

अनुक्रमांक— 421040500

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हयात मोहम्मद पुत्र श्री **फैज मोहम्मद**

मोहल्ला उसमानपुरए पोस्ट.जलालपुर थाना.जलालपुर

जनपद.अम्बेडकरनगर 224149

अनुक्रमांक– 421020360

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री **प्रेमशंकर**

ग्राम.केशवपुरए **पोस्ट.केदारनगर**ए **तहसील.टाण्डा**ए **थाना.**

इब्राहिमपुर जनपद.अम्बेडकरनगर.224230

अनुक्रमांक– 421060170

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मधु यादव पुत्र श्री **रामपाल यादव**

ग्राम.चितवई पोस्ट.चितवई थाना.इब्राहिमपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर.224145

अनुक्रमांक— 414010127

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनीत सिंह पुत्र श्री **बुद्धसेन सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.परसनपुर थाना.राजेसुल्तानपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर.224137

अनुक्रमांक– 421050211

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री **गजराज**

ग्रामध्पोस्ट.लखनडीह आलापुर थाना.जहाँगीरगंज जनपद.

अम्बेडकरनगर.224181

अनुक्रमांक– 421020483

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री **शैलेन्द्र यादव**

ग्राम.सल्लाहपुर पोस्ट.धौरुआ थाना.मालीपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर.224159

अनुक्रमांक— 421050532

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दुर्गेश कुमार मिश्र पुत्र श्री **रघुनाथ सहाय मिश्र**
ग्राम.पर्वतपुर पोस्ट.मतुलिया थाना.जैतुपर जनपद.
अम्बेडकर नगर. 224183

अनुक्रमांक– 421040353

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रजनीश त्रिपाठी पुत्र श्री **रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी**

ग्रामध्पोस्ट.निकसपुर थाना.राजेसुल्तानपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर.224137

अनुक्रमांक– 421040414

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जयकृष्ण तिवारी पुत्र श्री **बृजकिशोर तिवारी**

ग्राम. मिर्जापुर पोस्ट.अतरौरा थाना.इब्राहिमपुर जनपद.

अम्बेडकरनगर.224234

अनुक्रमांक— 421060237

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुँवर सौरभ सिंह पुत्र श्री **रणभद्र सिंह**

ग्राम.सैदपुर भितरी पोस्ट.सैदपुर भितरी थाना.मालीपुर

जनपद.अम्बेडकरनगर.224146

अनुक्रमांक– 421060228

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राघवेन्द्र पुत्र श्री **स्व0 राजितराम वर्मा**

ग्राम.बलुआ बहादुरपुर पोस्ट.रुकनुद्दीनपुर थाना.सम्मनपुर

जनपद.अम्बेडकरनगर.224186

अनुक्रमांक— 421030181

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक पाण्डेय पुत्र श्री **विरेन्द्र पाण्डेय**

ग्राम.बड़की पण्डौली पोस्ट.बनकटा बुजुर्ग थाना.

राजेसुल्तानपुर जनपद.अम्बेडकरनगर.224176

अनुक्रमांक— 421040424

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आदित्य कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेश्वरी प्रसाद मिश्र
ग्राम बेरमा पोस्ट बन्दीपुर जैतपुर अम्बेडकरनगर उ0प्र0–224125
अनुक्रमांक– 421060167

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह
ग्राम व पोस्ट लखनडीह जहॉगीरगंज अम्बेडकरनगर उ0प्र0–224181
अनुक्रमांक– 421040512

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिनकर वर्मा पुत्र श्री रामप्यारे वर्मा
ग्राम सन्दहॉ ड़डवापर पोस्ट सुलतानपुर कबीरपुर बसखारी
अम्बेडकरनगर उ0प्र0–224129
अनुक्रमांक– 421040112

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नवनीत मिश्रा पुत्र श्री श्रीकान्त मिश्रा
ग्राम आलमपुर धनौरा, लक्षमणपुर पोस्ट रामपुर कलॉ तह0 टाण्डा, टाण्डा
अम्बेडकरनगर उ0प्र0–224190
अनुक्रमांक– 421060398

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विवेक कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ
ग्राम जहागीरगंज पोस्ट जहागीरगंज जहागीरगंज अम्बेडकरनगर उ0प्र0
224147
अनुक्रमांक– 421050094

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम किकंर सिंह पुत्र श्री कामता प्रसाद सिंह
ग्राम पोखर भिट्टा पोस्ट राजेसुलतानपुर राजेसुलतानपुर अम्बेडकरनगर
उ0प्र0 224176
अनुक्रमांक– 421060246

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकास कुमार पुत्र श्री कपिलदेव वर्मा
ग्राम व पोस्ट रूकुनपुर काशिमपुर जलालपुर अम्बेडकरनगर उ0प्र0
224149
अनुक्रमांक– 414010897

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

इन्दु कुमार तिवारी पुत्र श्री अजीत प्रसाद तिवारी
ग्राम आशाजीतपुर कला पोस्ट बेनीपुर भीटी अम्बेडकरनगर उ0प्र0
224122
अनुक्रमांक– 421070310

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बबिता पटेल पुत्र श्री जियालाल वर्मा
ग्राम रूकुनुद्दीनपुर, हुसेनपुर पोस्ट रूकुनुद्दीन पुर सम्मनपुर
अम्बेडकरनगर उ0प्र0 224186
अनुक्रमांक– 414010351

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विजय प्रकाश पुत्र श्री रामजगत
ग्राम एदलपुर, पो0 गौरा महमदपुर (किछाछा) थाना सम्मनपुर जनपद
अम्बेडकरनगर–224155
अनुक्रमांक– 421030421

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रमेश कुमार यादव पुत्र श्री राम दुलार यादव
ग्राम–धनेजा, पो0 विशुनपुर(मसवरा) जाफराबाद, जनपद जौनपुर–222136
अनुक्रमांक– 421030430

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम जोखन वर्मा
ग्राम–सेभरा–मैनुपर जलालपुर थाना–जलालपुर जनपद–अम्बेदकरनगर
224149
अनुक्रमांक– 421050553

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आदित्य कुमार पुत्र श्री स्व0 राम मिलन मौर्य
ग्राम व पोस्ट–सिकन्दरपुर–मोहिउद्दीनपुर थाना–सम्मनपुर
जनपद–अम्बेदकरनगर 224186
अनुक्रमांक– 421020253

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुष्कर वर्मा पुत्र श्री जियालाल वर्मा
ग्राम–ससपना पोस्ट–नौगवा थाना–बेवाना जनपद–अम्बेदकरनगर
224235
अनुक्रमांक– 421060016

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रजनीश कुमार वर्मा पुत्र श्री **भगवती प्रसाद वर्मा**

ग्रामध्पोस्ट.मुस्तफाबाद थाना.अहिरौली जनपद.

अम्बेडकरनगर.224152

अनुक्रमांक— 421010287

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अम्बेडकर नगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जसवीर सिंह पुत्र श्री **हरप्रसाद सिंह**

ग्राम.अलीपुर पोस्ट.जाजरु थाना.नाँगावा साक्षत जनपद.

ज्योतिबाफुले नगर;अमरोहाद्व.244251

अनुक्रमांक– 424160202

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री **धर्मपाल सिंह**

ग्राम.सरकड़ा खुर्द पोस्ट.रजबपुर तहसील.हसनपुर थाना.

रजबपुर जनपद.जे0पी0नगर;अमरोहाद्ध.244236

अनुक्रमांक– 424170059

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

स्वदेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह
ग्राम फत्तेहपुर जिवाई पोस्ट चौधरपुर डिडोली जे0पी0नगर उ0प्र0
अनुक्रमांक– 424160390

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्री बीरबल सिंह
ग्राम–अटारी मुरीदपुर, पो0–गजरौला, जनपद ज्योतिबाफूलेनगर–244235
अनुक्रमांक– 424160206

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

यतीश कुमार पुत्र श्री शिवराज सिंह
ग्राम–सुल्तानपुर मौलवी उर्फ नवादा, थाना–गजरौला,
जनपद–ज्योतिबाफूलेनगर–244235
अनुक्रमांक– 424100439

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
ग्राम–सिरसाजट, पोस्ट व थाना–नौगॉवा सादात,
जनपद–ज्योतिबाफूलेनगर–244251
अनुक्रमांक– 424100324

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राज कुमार पुत्र श्री हरि सिंह
ग्राम–भगोडा पोस्ट–रसूलपुर नगला थाना–चॉन्दपुर
जनपद–बिजनौर–246725
अनुक्रमांक– 424200339

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कृपाल सिंह पुत्र श्री लाखराम सिंह
ग्राम–वाजिदपुर पोस्ट–डयोढी उर्फ हादीपुर तहसील–अमरोहा
थाना–डिडौली जनपद–ज्यातिबाफूलेनगर–244221
अनुक्रमांक– 424160392

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

करमवीर सिंह पुत्र श्री श्रीहरपाल सिंह
मकान नं0 12 आवास विकास कालोनी–प्रथम अमरोहा थाना–अमरोहा
जनपद–ज्योतिबाफूलेनगर 244221
अनुक्रमांक– 424160115

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भूकेन्द्र सिंह पुत्र श्री परम सिंह
ग्राम–जौजखेड़ा, पो0–सरकड़ी अजीज, तहसील–अमरोहा,
थाना–डिडौली जनपद जे0पी0 नगर–244222
अनुक्रमांक– 424170076

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनु कुमारी पुत्र श्री लटूर सिंह
ग्राम–मझौला, पो0–गजरौला, थाना गजरौला, जनपद–ज्योतिबाफुले नगर–244235
अनुक्रमांक– 424150207

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमरोहा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

परितोष पाण्डेय पुत्र श्री **कन्हैया लाल पाण्डेय**

ग्राम.पाण्डेयपुर पोस्ट.विशेषरगंज तहसील.अमेठी थाना.

संग्रामपुर जनपद.अमेठी.227407

अनुक्रमांक— 463020025

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रश्मि यादव पुत्र श्री **मुन्नालाल यादव**

के0आँफ. मुन्ना लाल यादव ग्राम.मलौली पोस्ट.गोसाईगंज

थाना.गोसाईगंज जनपद.लखनऊ.227125

अनुक्रमांक– 463020284

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राहुल शुक्ला पुत्र श्री **वासूदेव शुक्ला**

ग्राम.तिवारीपुर थानाध्पोस्ट.शुकुल बाजार जनपद.क्षत्रपति

शाहु जी महाराज नगर;अमेठीद्ध.227811

अनुक्रमांक— 463040043

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सतीश चन्द्र द्विवेदी पुत्र श्री **हरीशचन्द्र द्विवेदी**

ग्रामध्पोस्ट.मंगरा;रामगंजद्ध थाना.पीपरपुर जनपद.

सुल्तानपुर;छ0श0म0न0द्ध.228159

अनुक्रमांक– 463020019

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिषेक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री **विनोद कुमार पाण्डेय**

ग्राम.सहजीपुर पोस्ट.ठेंगहाए तहसील.अमेठी थाना.संग्रामपुर

जनपद.छत्रपति शाहुजी महाराज नगर;अमेठीद्ध.274405

अनुक्रमांक– 463050089

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद सिंह पुत्र श्री राकेश सिंह
ग्राम वीरशाहपुर पोस्ट–भटगवॉ, गौरीगंज, छत्रपतिशाहूजी महराजनगर
उ0प्र0–227409
अनुक्रमांक– 463050098

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

श्रद्धा सिंह पुत्र श्री राय साहब सिंह
ग्राम व पोस्ट–त्रिसुडी थाना–पिपर पुर जनपद–छत्रपतिशाहूजी महराजनगर 228159
अनुक्रमांक– 463050185

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहम्मद मुस्ताक पुत्र श्री **शब्बे हिस्मा**

नि0. पुरे शिवदास नरौली पोस्ट.भटगवाँ थाना.गौरीगंज

जनपद. छत्रपति शाहु जी महाराज नगर;अमेठीद्ध.227409

अनुक्रमांक– 463020576

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अमेठी** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुजीत कुमार सेठ पुत्र श्री **रामश्रय प्रसाद सेठ**

ग्रामध्पोस्ट. तरवां थाना.तरवां जनपद. आजमगढ़ .276123

अनुक्रमांक– 478050249

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुनील कुमार दीक्षित पुत्र श्री **गिरजा दीक्षित**

ग्राम.बरजी पोस्टध्याना.कन्धरापुर जनपद.आजमगढ़ .

276135

अनुक्रमांक– 459011073

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव कुमार राय पुत्र श्री **अशोक कुमार राय**

ग्रामध्पोस्ट.सरायमोहनए तहसील.लालगंज थाना.बरदह

जनपद.आजमगढ़.276303

अनुक्रमांक– 478040503

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मिलन कुमार पुत्र श्री देव कुमार गुप्ता
दीवानी कचहरी के उत्तर गेट के सामने सिविल लाइन्स कोतवाली
आजमगढ उ0प्र0 276001
अनुक्रमांक– 478031110

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र सरोज पुत्र श्री सियाराम सरोज
ग्राम व पो0 नन्दॉव, सरायमीर, जनपद–आजमगढ़–276305
अनुक्रमांक– 459010819

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेन्द्र यादव पुत्र श्री राम प्रीत यादव
ग्राम–खानपुर, पोस्ट बनकट जगदीश (कोपलसा) कप्तानगंज जनपद
आजमगढ़–276142
अनुक्रमांक– 478031082

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनिल विश्वकर्मा पुत्र श्री रामलाल विश्वकर्मा
ग्राम–चकदीना खॉ, पोस्ट–मुहम्मदल्ला तहसील–सदर, सिधारी, जनपद
आजमगढ़–276001
अनुक्रमांक– 478030892

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रंगीलाल
ग्राम व पोस्ट–रसूलपुर नन्दलाल, थाना–रौनापार,
जनपद–आजमगढ़–276103
अनुक्रमांक– 459010715

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री परदेशी सोनकर
ग्राम व पोस्ट–जमीलपुर थाना–महराजगंज जनपद–आजमगढ–276139
अनुक्रमांक– 459010710

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुखबीर पुत्र श्री राम अदार
ग्राम–जाजपुर पोस्ट–मऊ कुदुबपुर थाना–रौनापार
जनपद–आजमगढ़–276127
अनुक्रमांक– 459010699

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र श्री राम दयाल यादव
ग्राम हरखपुर, पोस्ट पटवध कौठक थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
अनुक्रमांक– 478031168

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आजमगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज पुत्र श्री **पुरुषोत्तम लाल**

ग्रामध्पोस्ट. हँसेला थाना.अछनेरा जनपद.आगरा.283101

अनुक्रमांक– 477020036

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री **चोब सिंह तिवारी**

नि0. चोबे सिंह तिवारी ग्राम.मलिकपुर पोस्ट.कौरई तहसील

किरावली थाना.फतेहपुर सीकरी जनपद.आगरा.283110

अनुक्रमांक– 473040552

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुधीर पुत्र श्री **हरिओम**

ग्रामध्पोस्ट.धनौलीए ब्राह्मण मोहल्लाए जगनेर रोड रामवीर सिंह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के पास थाना.मलपुरा

जनपद.आगरा.282001

अनुक्रमांक– 473010421

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राकेश सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह
गॉव नागर पोस्ट बीचपुरी अछनेरा आगरा उ0प्र0– 283105
अनुक्रमांक– 473020383

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मूलेन्द्र सिह पुत्र श्री शिव सिंह
गॉव मनौना पोस्ट पिनाहट तह0–वाह पिनाहट आगरा उ0प्र0–283123
अनुक्रमांक– 473090368

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
ग्राम इटौरा, पो0 ककुआ, थाना मलपुरा जनपद आगरा–282001
अनुक्रमांक– 473010592

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्रीकृष्ण
ग्राम व पोस्ट–बिचौला, तहसील–बाह, थाना–बासोनी
जनपद–आगरा–283113
अनुक्रमांक– 473070062

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भागमल पुत्र श्री प्यारे लाल
ग्राम–टीकरी पोस्ट–अरहेरा थाना–कागारौल जनपद–आगरा–283110
अनुक्रमांक– 473080414

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री बाबू लाल
मो0–गुडियाखेडा, फतेहपुर सीकरी थाना–फतेहपुर सीकरी
जनपद–आगरा–283110
अनुक्रमांक– 473080031

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

निशा पुत्र श्री अनिल कुमार वर्मा
ठडब्लूएस–1594 सेक्टर सात आवास विकास कालोनी सिकन्दरा जनपद
आगरा–282007
अनुक्रमांक– 473060278

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रीती चौधरी पुत्र श्री **रविकरन सिंह**

नि0. प्रतिभा कालोनी फेस.2 निकट मंगलधाम;राशन वाली

गलीद्ध थाना.बन्ना देवी जनपद.अलीगढ़.202001

अनुक्रमांक– 474041399

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सौनू कमार पुत्र श्री **तिलक सिंह**

ग्राम.रौहेरा पोस्ट.दवथला थाना.जवां जनपद.अलीगढ़.202126

अनुक्रमांक– 474030372

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

केवल सिंह पुत्र श्री **डम्बर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.मुरवार थाना.गोण्डा जनपद.अलीगढ़.202123

अनुक्रमांक– 474041445

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह
ग्राम कैमथल पोस्ट कैमथल गोण्डा अलीगढ उ0प्र0 202123
अनुक्रमांक– 474041443

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
ग्राम–हकीमगढ़ी, पोस्ट–अलहदादपुर, थाना–हरदुआगंज,
जनपद–अलीगढ़–202001
अनुक्रमांक– 474010230

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुनीत कुमार पुत्र श्री रविकरन सिंह
प्रतिभा कालोनी फेस–2 निकट मंगलध्याम(राश्न वाली गली) थाना बन्ना
देवी, जनपद अलीगढ, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 474041173

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रताप सिंह पुत्र श्री **ताराचन्द्र सिंह**

ग्राम.रसीदपुर गोरना पोस्ट.नगला सरुआका थाना.चण्डोस

जनपद.अलीगढ़.202142

अनुक्रमांक– 474041422

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री **राम सरन सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.जलालपुर;अट्टारीद्ध तहसील.खैरए ब्लॉक.टप्पल

थाना.टप्पल जनपद.अलीगढ़.202137

अनुक्रमांक– 474060165

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

गौरव कुमार पुत्र श्री मेघराज सिंह
ग्राम–अटारी पोस्ट–वैना तहसील–खैर थाना–टपपल जनपद–अलीगढ
202165
अनुक्रमांक– 474040625

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **अलीगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री **वेद प्रकाश शर्मा**

ग्राम.अमराला पोस्ट.फरीदनगर तहसील.मोदीनगर थाना.

भोजपुर जनपद.गाजियाबाद.245304

अनुक्रमांक– 453040294

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पवन कुमार पुत्र श्री **अजीत सिंह**

ग्राम.जटपुरा थाना पिलखुवा जनपद.गाजियाबाद.245304

अनुक्रमांक– 453070533

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

चेतन प्रकाश तोमर पुत्र श्री **महावीर सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.कस्तला कासमाबाद थाना.पिलखुवा जनपद.

गाजियाबाद.245304

अनुक्रमांक— 453040180

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

वर्षा शर्मा पुत्र श्री सन्तोष कुमार शर्मा
गॉव इन्दरगढी मसूरी गाजियाबाद उ0प्र0 201001
अनुक्रमांक– 423110510

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रविन्द्र यादव पुत्र श्री चरण सिंह
ग्राम व पोस्ट सुराना, तिहा मुरादनगर गाजियाबाद उ0प्र0–201206
अनुक्रमांक– 453010301

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मौ0 मशकूर अली पुत्र श्री आकिल अली
गॉव सैना पोस्ट सिम्भावली सिम्भावली गाजियाबाद उ0प्र0 245207
अनुक्रमांक– 453040193

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री श्री सौराम सिंह
न्यू बैक कॉलोनी चमरी रोड हापुड़ जनपद गाजियाबाद –245101
अनुक्रमांक– 453070200

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री भीम सिंह
ग्राम–सिकराली, पोस्ट–लोनी, जनपद गाजियाबाद–201102
अनुक्रमांक– 423100079

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सचिन कुमार पुत्र श्री मदनपाल
ग्रेंाम व पो0–नानपुर तह0–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद–गाजियाबाद–245205
अनुक्रमांक– 453010346

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

हरीश कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द
44ए, सुन्दरनगर(न्यू विकास नगर) नजदीक रेलवे स्टेशन, नजदीक पीर,
लौनी गाजियाबाद–201102
अनुक्रमांक– 453050230

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार बालियान पुत्र श्री वीर सिंह चौधरी
द्वारा भोलेनाथ सैनी, किश्नपुरा, बुलन्दशहर रोड, हापुड़ जनपद
गाजियाबाद–245101
अनुक्रमांक– 423080568

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संदीप कुमार पुत्र श्री रधुबीर सिंह
ग्राम फरीदपुर गौसाई पोस्ट ददियाना सिद्दावाली गाजियाबाद
पिन–245207
अनुक्रमांक– 423120081

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र श्री रूमाल सिंह
ग्राम व पोस्ट–शाहपुर, फगौता, थाना–धौलाना जनपद
गाजियाबाद–245101
अनुक्रमांक– 423120064

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

देवा सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह
पता–इन्दिरापुरी गली नं0–6, निकट अनीता पब्लिक स्कूल
थाना–मोदीनगर जनपद गाजियाबाद–201204
अनुक्रमांक– 453030039

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजीव कुमार गैर पुत्र श्री एस0पी0 गौर
मकान नं0–261/ए गली नं0–14, गगन बिहार मऊपुरा थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद–201005
अनुक्रमांक– 453070149

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रोशन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल
पता–अम्बेडकरनगर सिखेड़ा रोड़ थाना–मोदीनगर
जनपद–गाजियाबाद–221204
अनुक्रमांक– 453070205

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जगदीश कुमार पुत्र श्री स्व0 दलपत सिंह
मा0नं0–183 माता कालोनी सेक्टर 12 थाना– विजय नगर
जनपद–गाजियाबाद–201009
अनुक्रमांक– 453080572

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनिन्द्र कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह
ग्राम–सबली पोस्ट व थाना–हापुड जनपद गाजियाबाद–245101
अनुक्रमांक– 453070280

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवराज तोमर पुत्र श्री ओकार सिंह
सी–90 न्यू पचवटी गाजियाबाद पोस्ट–माडल टाउन कोतवाली गाजियाबाद 201009
अनुक्रमांक– 453060116

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सन्दीप कुमार पुत्र श्री नैपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट–औरंगाबाद रिश्तल थाना–लोनी जनपद–गाजियाबाद
201009
अनुक्रमांक– 453050235

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री हरि कृपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट–कुमहैडा थाना–निवाडी जनपद–गाजियाबाद 201206
अनुक्रमांक– 453050285

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री **प्रेमराज**

नि0. मेन रोड ए गूर्जर मार्किट वार्ड नं0.7 कस्बा.डासना

थाना.मसूरी जनपद.गाजियाबाद.201302

अनुक्रमांक— 423100287

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजियाबाद** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पुरुषोत्तम आनन्द सिंह पुत्र श्री **रामदेव सिंह**

ग्राम.सुदामापुर टिकरी पोस्ट.रघुराजनगर थाना.वजीरगंज

जनपद.गोण्डा 271303

अनुक्रमांक— 465020377

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अखिलेश कुमार पुत्र श्री **शिवनरेश तिवारी**

ग्राम.कुलेनियाँ पोस्ट.मल्हीपुर थाना.मनकापुर जनपद.

गोण्डा.271302

अनुक्रमांक– 465020316

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजीव गुप्ता पुत्र श्री **विजय कुमार**

मकान नं0 7074ए मौहल्ला बल्लु वाड़ा नजदीक.बारा हजारी

चौकए पोस्ट.रिवाडी जनपद. रिवाडी ;हरियाणाद्ध.123401

अनुक्रमांक– 465050396

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दुर्गेश कुमार वैश्य पुत्र श्री **राधेश्याम**

ग्राम.लालपुर पोस्ट.ऐलनपुर ग्रान्ट थाना.मनकापुर जनपद.

गोण्डा.271304

अनुक्रमांक– 465030306

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री **सूर्य कुमार सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.महेवा गोपाल थाना.मोतीगंज जनपद.गोण्डा.

271301

अनुक्रमांक– 465030154

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनूप कुमार तिवारी पुत्र श्री **लल्लू प्रसाद तिवारी**

नि0. खरगुपुर बाजारए इकौना रोड थाना.खरगुपुर जनपद.

गोण्डा.271204

अनुक्रमांक– 465050114

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेश कुमार चौबे पुत्र श्री **राम कुशल चौबे**
नि0. बहराइच रोडए तिवारी पुरवाए निकट.सिटी माण्टेसरी
स्कूल पोस्ट.बस स्टेशन थाना.कोतवाली नगर जनपद.
गोण्डा.271001

अनुक्रमांक– 465030456

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

समित चौधरी पुत्र श्री **राघवेन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट.पथैना तहसील.वैर थाना.भुसावर जनपद.

भरतपुर;राजस्थानद्ध.321615

अनुक्रमांक– 465020002

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुशील कुमार पुत्र श्री गयाप्रसाद
ग्राम परसा दुला पोस्ट चारू छपिया गोण्डा उ0प्र0–271313
अनुक्रमांक– 465040547

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पाठक पुत्र श्री अवधेश कुमार पाठक
मो0 न्यू खैरा कालोनी पोस्ट बढगाव नगर कोतवाली गोण्डा, गोण्डा
उ0प्र0 271002
अनुक्रमांक– 465030118

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित पाण्डेय पुत्र श्री गोकरन नाथ पाण्डेय
ग्राम इमिलियॉ पोस्ट महेवा गोपाल मोतीगंज गोण्डा उ0प्र0–271302
अनुक्रमांक– 465030356

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सरदेन्दु तिवारी पुत्र श्री प्रदीप कुमार तिवारी
मो0 रफीनगर बंगाली मिस्त्री के पीछे मनकापुर गोण्डा उ0प्र0–271302
अनुक्रमांक– 465050517

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनय कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार
डी–27–1 गली नं0–10 चन्द्रलोक दुर्गापुरी मानसरोवर पार्क शहादरा
दिल्ली 110093
अनुक्रमांक– 465040635

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरून कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहाल सिंह
ग्राम व पोस्ट अमदही उमरीबंगमगंज गोण्डा उ0प्र0 271403
अनुक्रमांक– 465020319

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिव्येन्दु तिवारी पुत्र श्री प्रदीप कुमार तिवारी
मो0 रफीनगर बंगाली मिस्त्री के पीछे मनकापुर गोण्डा उ0प्र0–271302
अनुक्रमांक– 465050516

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राज कुमार पुत्र श्री स्व0 गंगासरन
ग्राम मतबरिया, पो0 रूद्रगढ़ नौसी, थाना मोतीगंज,
जनपद–गोण्डा–271602
अनुक्रमांक– 465020067

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिजवान अहमद पुत्र श्री मुन्ना
म0नं0–545 पटेलनगर घोसियाना निकट पानी टंकी– गोण्डा, नगर
कोतवाली, जनपद–गोण्डा–271001
अनुक्रमांक– 465040792

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कुमारी तूरन उपाध्याय पुत्र श्री स्व0 चूरामणि दत्त उपाध्याय
ग्राम–मई पोस्ट–खान आलमपुर तहसील–कोल थाना–हरदुआगंज
जनपद–अलीगढ 202125
अनुक्रमांक– 465040489

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सरोजनी वर्मा पुत्र श्री राम लौटन वर्मा
मोहल्ला पटेल नगर पोस्ट–मनकापुर बाजार थाना–मनकापुर
जनपद–गोण्डा 271302
अनुक्रमांक– 465050646

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राजकुमारी पुत्र श्री रामछतर चतुर्वेदी
ग्राम–तेंदुआ चौखड़िया, पो0–खरगूपुर, थाना–खरगूपुर जनपद–गोण्डा
अनुक्रमांक– 465040766

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोण्डा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दिवाकर पुत्र श्री **पन्ने लाल**

ग्राम.बहादुरपुर थाना.बैलघाट जनपद गोरखपुर पिन.273404

अनुक्रमांक– 465130379

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रितेश कुमार सिंह पुत्र श्री **हरेन्द्र बहादुर सिंह**

ग्राम. डाड़ी रावत पोस्ट.बांसगाँव थाना. बाँसगांव जनपद.

गोरखपुर पिन.273403

अनुक्रमांक– 465150140

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मुकुन्द त्रिपाठी पुत्र श्री **अनंत नारायण मणि त्रिपाठी**

ग्राम. आर्दशनगर बिछिया पोस्ट.पीएसी कैम्प थाना.शाहपुर

जनपद.गोरखपुर पिन.273014

अनुक्रमांक– 465110361

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीत कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री **राम निवास त्रिपाठी**

मोहल्ला श्रीरामपुरमए मुहद्दीपुर पोस्ट.कुड़ाघाट थाना.कैन्ट

जनपद.गोरखपुर 273008

अनुक्रमांक– 459090340

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शेषनाथ यादव पुत्र श्री **शिवकुमार यादव**

ग्राम.बनकटिया खुर्द पोस्ट.पतारा थाना.पिपराइच जनपद.

गोरखपुर 273152

अनुक्रमांक– 459110304

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री **स्व0 सुरेश चन्द्र सिंह**

ग्रामध्पोस्ट. पाली तहसील.सहजनवा थाना.सहजनवा

जनपद.गोरखपुर 273209

अनुक्रमांक— 465120600

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार राय पुत्र श्री **रमेश राय**

ग्रामध्पोस्ट.महुजा थाना.गगहा जनपद.गोरखपुर. 273413

अनुक्रमांक– 459090322

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विपिन कुमा मिश्र पुत्र श्री **चन्द्रमौलि मिश्र**

ग्राम.पतरा पोस्ट.कोड़री वाया गोला थाना.गोला जनपद.

गोरखपुर. 273408

अनुक्रमांक— 459080430

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम सिंह
ग्राम कोना सोनबरसा पोस्ट बरही झॅगहा गोरखपुर उ0प्र0–273405
अनुक्रमांक– 465100493

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री प्रभुनाथ सिंह
ग्राम सोनवरसा बाजार पोस्ट सोनवरसा बाजार चौरी चौरा गोरखपुर
उ0प्र0 273002
अनुक्रमांक– 465100160

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विन्ध्याचल पुत्र श्री जेठू प्रसाद
ग्राम हरपुर पो0 हरपुर, गोला, जानपद गोरखपुर–273409
अनुक्रमांक– 465160522

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

महेश कुमार पुत्र श्री केदारनाथ
ग्राम–मुहम्मदपुर (महुँअवॉ) पो0–थवईपार, पीपीगंज,
जनपद–गोरखपुर–273165
अनुक्रमांक– 465120179

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनोज कुमार पुत्र श्री राम सुरेश
पता–641 एफ सर्वोदय नगर, पोस्ट–बिछिया थाना–शाहपुर
जनपद–गोरखपुर–273014
अनुक्रमांक– 465090053

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रिकूं पुत्र श्री राजू
ग्राम व पोस्ट–उपैडा तहसील हापुड थाना–बाबूगढ
जनपद–गाजियाबाद–245201
अनुक्रमांक– 465110031

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

कर्मवीर सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह
ग्राम–मकरहट पोस्ट–पाली थान–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर–273209
अनुक्रमांक– 465070272

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

राम अशीष मौर्या पुत्र श्री महातम मौर्या
ग्राम व पोस्ट–तिरलोकपुर बाया सिकरीगंज थाना–बेलघाट
जनपद–गोरखपुर 273213
अनुक्रमांक– 459080087

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
ग्राम–मुजौली पोस्ट–चडराव थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर 273209
अनुक्रमांक– 465080174

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अर्चना वर्मा पुत्र श्री श्री राम वर्मा
ए–203 आवास विकास कालोनी, पोस्ट गीता वाटिका शाहपुर जनपद
गोरखपुर–273006
अनुक्रमांक– 465150572

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

ग्यानेन्द्र सिंह नागर पुत्र श्री होशियार सिंह नागर
म0नं0 59 बाली नं0–1ई0एल0 झवड़ापुर(नीयर जाल चौक) साहिबाबाद,
लिंक रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
अनुक्रमांक– 465080126

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गोरखपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री

सगुन स्वीट व कन्फै0 गौड़ धर्मशाला के पासए ब्रह्मपुरी

जीटी रोड दादरी जनपद.गौतमबुद्धनगर.203207

अनुक्रमांक– 423080093

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री **निरंजन प्रसाद**

ग्रामध्पोस्ट.लौदाना तहसील.जेवर थाना.जहाँगीरपुर जनपद.

गौतमबुद्धनगर.203141

अनुक्रमांक– 423080324

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

किरनपाल नागर पुत्र श्री दयानन्द नागर
गॉव कुडीखेडा पोस्ट बम्बावड बादलपुर गौतमबुद्धनगर उ0प्र0–203207
अनुक्रमांक– 423060091

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शंकरानन्द पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह
ग्राम भोगपुर पो0 कोटदादरी तह0 व थाना दादरी, जनपद
गौतमबुद्धनगर–203207
अनुक्रमांक– 423060496

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सहजाद मलिक पुत्र श्री अब्दुल सलाम मलिक
अयोध्या गंज के पीछे गली नं0–1 नई आवादी दादरी थाना दादरी
जनपद गौतमबुद्धनगर–203207
अनुक्रमांक– 423050586

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक सिंह पुत्र श्री **ज्ञान चन्द भाटी**

ग्राम.पल्ला पोस्टध्थाना.दादरी जनपद.गौतमबुद्धनगर.

203207

अनुक्रमांक– 423050631

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मोहम्मद सरताज पुत्र श्री इदरीश खान
पुराना कठहरा रोड डा0 सुनील वाली गली दादरी दादरी गौतमबुद्धनगर
उ0प्र0 203207
अनुक्रमांक– 423070292

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गौतमबुद्धनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

उमेश यादव पुत्र श्री **फेकन यादव**

ग्राम. कुसुम्हीखुर्द पोस्ट.पहलवानपुर थाना.नन्दगंज

जनपद.गाजीपुर पिन.233311

अनुक्रमांक– 414070624

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव कुमार राय पुत्र श्री **अवधेश राय**

नि0 राजीवनगर सुपेला भिलाई यादव भवन के पास वार्ड

नं0.4 थाना सुपेला जिला. दुर्ग;छत्तीसगढ़द्ध.490023

अनुक्रमांक– 459011483

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रंजीत कुमार सिंह पुत्र श्री **राजा राम सिंह**

ग्रामध्पोस्टध्थाना. भुड़कुड़ा जनपद.गाजीपुर .275203

अनुक्रमांक– 414070715

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अनित कुमार राय पुत्र श्री **रामश्रय राय**

ग्रामध्पोस्ट.रेवतीपुरए पट्टी.जयन्ती राय;वन मेंद्ध थाना.

सुहवल जनपद.गाजीपुर.232328

अनुक्रमांक– 414060629

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनीत कुमार यादव पुत्र श्री **लालजी यादव**

ग्राम.भद्रसेन पोस्ट.डहराकलां थाना.सैदपुर जनपद.गाजीपुर .

233304

अनुक्रमांक– 459060806

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अम्बरीष बहादुर पुत्र श्री **केशव प्रसाद**

ग्रामध्पोस्ट.औड़िहार थाना.सैदपुर जनपद.गाजीपुर.233221

अनुक्रमांक– 459011436

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

असलम खाँ पुत्र श्री **वसीम खाँ**

ग्राम.नवापुरा मुसुफपुर वार्ड नं0.4ए **पोस्ट.मुहम्मदाबाद**

थाना.मुहम्मदाबाद जनपद.गाजीपुर.233227

अनुक्रमांक– 459060212

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुमित कुमार राय पुत्र श्री **अखिलेश कुमार राय**

ग्राम.फिरोजपुर पोस्ट.गौसपुर थाना.मुहम्मदाबाद जनपद.

गाजीपुर. 233227

अनुक्रमांक– 414090489

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

नेहा यादव पुत्र श्री **धनन्जय यादव**

के0आँफ. रामबचन सिंह यादव ग्राम.बहरामपुर;चौबहाँद्धए

पोस्ट.बसेवां;शादियाबादद्ध थाना.शादियाबाद जनपद.

गाजीपुर.275205

अनुक्रमांक– 459060791

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रवि कुमार राय पुत्र श्री **ओम प्रकाश राय**

ग्रामध्पोस्ट.सुहबल थाना.सुहबल जनपद.गाजीपुर.232332

अनुक्रमांक– 414060624

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री **गणेश सिंह यादव**

ग्रामध्पोस्ट.उतराँव थाना.करीमुद्दीनपुर जनपद.गाजीपुर.

233225

अनुक्रमांक– 414070695

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार सिंह पुत्र श्री **रामशब्द सिंह**

ग्राम.हुसनपुर पोस्टध्थाना.भुड़कुड़ा जनपद.गाजीपुर.275203

अनुक्रमांक– 414070716

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रामानन्द सिंह यादव पुत्र श्री **सुरेन्द्र नाथ सिंह यादव**

ग्रामध्पोस्ट.जीवपुर थाना.जमाँनिया जनपद.गाजीपुर.232340

अनुक्रमांक– 414080744

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

भप्पी सोनी पुत्र श्री **भगवान दास सेठ**

नि0.युसूफपुर बाजारए वार्ड नं0.16 पोस्ट.मोहम्मदाबादए

थाना.युसूफपुर मोहम्मदाबाद जनपद.गाजीपुर.233227

अनुक्रमांक– 414070682

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अम्बरीश कुमार सिंह पुत्र श्री **ओमप्रकाश सिंह**

ग्राम.बरुईन पोस्ट.बरुईन जमानियां रे0स्टे0 थाना.जमानियाँ

जनपद.गाजीपुर.232331

अनुक्रमांक– 414070749

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शेषनाथ सिंह यादव पुत्र श्री कैलाशनाथ यादव
ग्राम परसोतिया सदियाबाद गाजीपुर उ0प्र0–233311
अनुक्रमांक– 459050054

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अश्वनी कुमार प्रधान पुत्र श्री कपिलमुनि प्रधान
ग्राम सुल्तानपुर पो0 गौसपुर मुहम्मदाबाद इलाहाबाद उ0प्र0 233227
अनुक्रमांक– 414070709

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

दीपक कुमार यादव पुत्र श्री रामराज सिंह यादव
ग्राम बरवॉ पोस्ट चोचकपुर करण्डा गाजीपुर उ0प्र0 233224
अनुक्रमांक– 414080606

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रणजीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
ग्राम व पोस्ट महुवारी कासिमाबाद गाजीपुर उ0प्र0 275201
अनुक्रमांक– 414100238

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सतीश कुमार यादव पुत्र श्री अरूण कुमार सिंह यादव
ग्राम व पो0–रामपुरमौंझा, तह0 सैदपुर करण्डा, जनपपद
गाजीपुर–233306
अनुक्रमांक– 414070651

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रंजय कुमार पुत्र श्री छत्रधारी प्रसाद
ग्राम व पोस्ट–नगसर, थाना–दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर–232326
अनुक्रमांक– 414030519

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

संजीव चौहान पुत्र श्री अरविन्द कुमार चौहान
ग्राम–शत्रुघनपुर लोनिया टोला पोस्ट–फुटहवा इनार सरदार नगर
थाना–चौरी चोरा जनपद–गोरखपुर 273202
अनुक्रमांक– 414070064

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रमेश चन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री विक्रम कुशवाहा
ग्राम व पोस्ट–जलालाबाद ब्लाक–जखनिया थाना–दुल्हापुर
जनपद–गाजीपुर 275207
अनुक्रमांक– 414070118

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

पिन्टू कुमार यादव पुत्र श्री सिघासन यादव
ग्राम–नेवादा सानी–धमूपुर पोस्ट–दुल्लहपुर थाना–दुल्लहपुर
जनपद–गाजीपुर 275202
अनुक्रमांक– 414070625

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित कुमार चौहान पुत्र श्री जगरनाथ
ग्राम व पोस्ट–नख्तपुर थाना–मरदहा जनपद–गाजीपुर 233226
अनुक्रमांक– 414080504

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुरभी सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह
ग्राम–कटया लहांग पोस्ट–राजापुर थाना–कासिमाबाद जनपद–गाजीपुर
233230
अनुक्रमांक– 414090055

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमृता सिंह पुत्र श्री रविन्द्र नाथ सिंह
ग्राम–सागापाली पोस्ट–ठोठारि थाना–बरेसर जनपद–गाजीपुर 233322
अनुक्रमांक– 414090054

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आशीष सिंह यादव पुत्र श्री महेन्द्र सिह यादव
ग्राम–बीरपुर पोस्ट बीरपुर थाना भॉवरकोल जनपद गाजीपुर–233231
अनुक्रमांक– 414080056

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

सुषमा तिवारी पुत्र श्री हरि गोबिन्द तिवारी
ग्राम–गोपालपुर पोस्ट–औड़िहार थाना खानपुर जनपद गाजीपुर–233221
अनुक्रमांक– 414060509

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

बृजेश यादव पुत्र श्री **रवीन्द्र नाथ यादव**

ग्राम.चफमबुक पोस्ट.सिखड़ी थाना.दुल्लाहपुर जनपद.

गाजीपुर.275202

अनुक्रमांक– 414080081

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विनोद कुमार पुत्र श्री **जनार्दन सिंह यादव**

ग्राम.भद्रसेन पोस्ट.डहराकलां थाना.सैदपुर जनपद.गाजीपुर .

233304

अनुक्रमांक– 459060805

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री **सदानन्द यादव**

ग्राम.जगदीशपुर पोस्ट.सोनवानी थाना.करिमुद्दीनपुर

जनपद.गाजीपुर.233228

अनुक्रमांक– 414070394

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **गाजीपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अरविन्द कुमार यादव पुत्र श्री **जगन्नाथ यादव**

ग्राम. अतलूनगर पोस्ट. डिगुरियाए **सितापुर रोड थाना.**

मड़ियाँव जनपद.लखनऊ. 226020

अनुक्रमांक– 462330398

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

मनोज कुमार तोमर पुत्र श्री **राजकरन सिंह तोमर**
ग्राम–थनैल, पोस्ट–गड़ांव, थाना–बिसण्डा, जनपद–बॉदा
अनुक्रमांक– 462370186

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शारदेन्दु दूबे पुत्र श्री **पुष्कर दूबे**

1ध्929 **विशालखण्ड गोमतीनगर थाना.गोमतीनगर जनपद.**

लखनऊ 226010

अनुक्रमांक– 462370196

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

फुलीन्दर यादव पुत्र श्री **गणेश सिंह यादव**

ग्राम.मुर्कीअगाध पोस्ट.मुर्तजीपुर जनपद.गाजीपुर थाना.

मोहम्मदाबाद जनपद. गाजीपुर. 233227

अनुक्रमांक– 462330335

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रणवीर सिंह पुत्र श्री **गिरिजेश कुमार**

ग्राम.भगौतीपुर पोस्ट.महोना थाना.इटौंजा जनपद.लखनऊ.

227208

अनुक्रमांक– 462390177

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

शेखर सिंह पुत्र श्री **भगवान शरण सिंह**

नि0. मकान नं0. 826 लकड़ी मोहल सदर बाजार थाना.कैन्ट

जनपद.लखनऊ.226002

अनुक्रमांक– 462290153

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विवेक कुमार पुत्र श्री **राजकिशोर मौर्य**

ग्राम.भदोई पोस्ट.मवई पड़ियाना थाना.बन्थरा जनपद.

लखनऊ.226008

अनुक्रमांक– 462330403

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

तनुज कुमार पाल पुत्र श्री **राजेन्द्र कुमार पाल**

ग्रामध्पोस्ट.लौलाई चिनहट थाना.चिनहट. जनपद.लखनऊ.

227105

अनुक्रमांक– 462350220

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अमित प्रताप सिंह पुत्र श्री अजीत नरायन सिंह
बी–29 जमुना झील कालोनी, मालवीय नगर ऐसबाग लखनऊ बाजार
खाला लखनऊ उ0प्र0 226004
अनुक्रमांक– 462360696

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विपिन कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल रावत
एफ–4 अल्कापुरी निकट (आई0ई0एम0) कुर्मी रोड, गुडम्बा जनपद–
लखनऊ–226022
अनुक्रमांक– 462390031

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आनन्द कुमार पुत्र श्री ओंकार नाथ
म0नं0 बी–142–3, आरडीएसओ, कालोनी, मानकनगर, जनपद लखनऊ–226011
अनुक्रमांक– 462330409

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

विकास नाथ पुत्र श्री काशी नाथ
पता–सी–3425 मिनी एल.आई.जी. राजाजीपुरम् थाना–तालकटोरा,
जनपद–लखनऊ–226017
अनुक्रमांक– 462380243

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अभिनेष कुमार पुत्र श्री नाथू राम
ग्राम व पोस्ट–माल, मो0–भीमनगर थाना–माल तहसील–मलिहाबाद
जनपद–लखनऊ–227115
अनुक्रमांक– 462380420

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—1

संख्याःपांच—111(उ0नि0ना0पु0—सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

आलोक चन्द्रा पुत्र श्री **सुरेश चन्द्र**

नि0. 153ए गुरसेल तहसील फतेहपुर थाना.फतेहपुर जनपद.

बाराबंकी.225305

अनुक्रमांक— 462330161

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती —2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

——

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक—प्रानि0—प—82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2— आप अपने साथ प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप—1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/— एवं 42/— के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ—पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3— प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4— उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा—निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक—मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन—पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजय कुमार यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव
569/262 बरगवॉ, कानपुर रोड लखनऊ थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ
अनुक्रमांक– 462350376

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रामबाबू पुत्र श्री दयाराम
म0 नं0 229, भीमनगर, नदीपुरा, जनपद–ललितपुर–284403
अनुक्रमांक– 412060804

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **ललितपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

रानू पुत्र श्री रमेश चन्द्र
ग्राम व पोस्ट–सेरबास कला थाना–तालबेहट जनपद–ललितपुर 284126
अनुक्रमांक– 412060840

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, **ललितपुर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःपांच–111(उ0नि0ना0पु0–सी0भ0-2011)-2015 दिनांकःसितम्बर 14 ,2017

सेवा में,

अजीव कुमार सिंह पुत्र श्री हृदयनारायण सिंह
ग्राम पपरौल पोस्ट डबरिया धानापुर चन्दौली उ0प्र0–232105
अनुक्रमांक– 478100723

विषयः उ0नि0 ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती –2011 के अन्तर्गत चयनित व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पी0टी0सी0 मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

––

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–82/2014/5360, दिनांक 11.09.2017 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 **(व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले/औपबंधित)** से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 20.09.2017 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण सस्थान में **दिनांक 19-09-2017 को शायंकाल तक** अपने आगमन की सूचना दें।

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः रूपये 32/– एवं 42/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों को भी वेबसाइट पर डाला गया है, के अनुसार कार्यवाही करें।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

14.9.17

पुलिस अधीक्षक कार्मिक/प्रभारी
उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक–मूल पत्रावली(ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें)